lR;eso t;rs

jktLFkku ljdkj

dsljhflagiqj ekLVj Iyku

¼2010&2031½

¼jktLFkku uxj lq/kkj vf/kfu;e] 1959 ds vUrxZr rS;kj fd;k x;k½

;k'kh dUlyfVax lfoZlst izk0 fy0] t;iqj

uxj fu;kstu foHkkx

jktLFkku] ljdkj

lR;eso t;rs

jktLFkku ljdkj

dsljhflagiqj ekLVj Iyku

¼2010&2031½

¼jktLFkku uxj lq/kkj vf/kfu;e] 1959 ds vUrxZr rS;kj fd;k x;k½

;k'kh dUlyfVax lfoZlst izk0 fy0] t;iqj

uxj fu;kstu foHkkx
jktLFkku] ljdkj

vkHkkj

केसरीसिंहपुर के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करने में केसरीसिंहपुर के विशिष्ट जन–प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास के इस कार्य में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस नगर के सुनियोजित विकास के लिए प्रदान किया है।

जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर, भूतपूर्व मुख्य नगर नियोजक श्री आर.के. शर्मा, मुख्य महाप्रबन्धक, आवास विकास लि0, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, केसरीसिंहपुर का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सलाहकार फर्म मै0 याशी कन्सलटिंग सर्विसेज प्रा0 लि0 को मास्टर प्लान को तैयार करने में समय–समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्र करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जलप्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में अपना प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग दिया है।

अन्त में सभी नागरिकों से आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस नगर से मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं केसरीसिंहपुर के गणमान्य नागरिक धन्यवाद के पात्र हैं।

¼t ;chj flag tk[kM½
वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन,
बीकानेर

;kstuk ny

1.	श्री जयबीर जाखड़	वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, जोन, बीकानेर
2.	श्री सुग्रीब सिंह	उप नगर नियोजक (पी.आर.), बीकानेर जोन, बीकानेर
3.	श्री पुनीत शर्मा	सहायक नगर नियोजक
4.	श्री गुरूदत्त शर्मा	सहायक अभियन्ता, बीकानेर
5.	श्री दलीप पूनिया	कनिष्ठ अभियन्ता, बीकानेर
6.	श्री रणवीर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता, बीकानेर

lykgdkj Qe% ,0lh0ih0,y0 fMtkbu ik0fy0 fnYyh A

1.	श्री संजय गुप्ता	प्रबन्ध निदेशक
2.	श्री जयदीप खरब	नगर नियोजक
3.	सुश्री देबुलीना देवनाथ	नगर नियोजक
4.	श्री मनोज जैन	वरिष्ठ सिविल इन्जिनियर
5.	श्री महेश चौधरी	वरिष्ठ प्रारूपकार
6.	श्री दीपक झा	सहायक प्रारूपकार
7.	श्री लुकमान	सहायक प्रारूपकार
8.	श्री कुणाल अग्रवाल	वरिष्ठ लिपिक

fo"k;&lwph

v/;k;	Øe la[;k	fo"k;&oLrq	i"B la[;k
		vkHkkj	i
		;kstuk ny	ii
		fo"k;&lwph	iii
		rkfydk&lwph	vii
1		ifjp;	1&2
2		fo|eku fo'k"krk,a	3&22
	2.1	भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु	3
	2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	4
	2.3	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	5
	2.4	जनसांख्यिकी	6
	2.5	व्यवसायिक संरचना	7
	2.6	विद्यमान भू–उपयोग	8
	2.6.1	आवासीय	10
	2.6.1(अ)	आवासन	11
	2.6.1(ब)	कच्ची बस्तियाँ	11
	2.6.1(स)	शहरी नवीनीकरण	11
	2.6.2	वाणिज्यिक	12
	2.6.3	औद्योगिक	12
	2.6.4	राजकीय	14
	2.6.4(अ)	सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय	14
	2.6.5	आमोद–प्रमोद	14
	2.6.5(अ)	मेले एवं पर्यटन सुविधाएं	15
	2.6.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	15
	2.6.6(अ)	शैक्षणिक	15
	2.6.6(ब)	चिकित्सा	16
	2.6.6(स)	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं	17

		ऐतिहासिक स्थल	
	2.6.6(द)	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	**17**
	2.6.6(य)	जनोपयोगी सुविधाएं	**17**
	2.6.6(य)(i)	जलापूर्ति	**17**
	2.6.6(य)(ii)	जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	**18**
	2.6.6(य)(iii)	विद्युत आपूर्ति	**19**
	2.6.6(य)(iv)	श्मशान एवं कब्रस्तान	**19**
	2.6.7	परिसंचरण	**20**
	2.6.7(अ)	यातायात व्यवस्था	**20**
	2.6.7(ब)	बस तथा ट्रक टर्मिनल	**21**
	2.6.7(स)	रेल एवं हवाई सेवा	**22**
3		**fu;ktu dh lidYiuk**	**23&25**
	3.1	नियोजन की नीतियाँ	**23**
	3.2	नियोजन के सिद्धान्त	**24**
4		**Hkkoh ;kstuk dk vkdkj**	**26&31**
	4.1	जनसांख्यिकी	**26**
	4.2	व्यावसायिक संरचना	**27**
	4.3	नगरीय क्षेत्र	**28**
	4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	**29**
	4.5	योजना क्षेत्र	**29**
	4.5(अ)	उत्तरी योजना परिक्षेत्र	**30**
	4.5(ब)	पूर्वी योजना परिक्षेत्र	**30**
	4.5(स)	दक्षिणी योजना परिक्षेत्र	**30**
	4.5(द)	परिधि नियंत्रण पट्टी परिक्षेत्र	**31**
5		**Hk&mi;kx ;kstuk**	**32&52**
	5.1	आवासीय	**33**
	5.1.1	आवासन	**34**
	5.1.2	अनौपचारिक सैक्टर हेतु योजना	**34**

	5.1.3	कच्ची बस्तियाँ	**34**
	5.2	वाणिज्यिक	**35**
	5.2(1)	केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र	**36**
	5.2(2)	थोक व्यापार एवं विशेष बाजार	**36**
	5.2(3)	भण्डारण एवं गोदाम	**36**
	5.2(4)	वाणिज्यिक केन्द्र	**37**
	5.3	औद्योगिक	**37**
	5.4	राजकीय	**38**
	5.4(1)	सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय	**38**
	5.5	आमोद–प्रमोद	**40**
	5.5(1)	उद्यान एवं खुले स्थल	**40**
	5.5(2)	स्टेडियम	**40**
	5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक उपयोग	**41**
	5.6(1)	शैक्षणिक	**41**
	5.6(2)	चिकित्सा	**43**
	5.6(3)	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	**44**
	5.6(4)	जनोपयोगी सुविधाएं	**44**
	5.6(4)(अ)	जलापूर्ति	**45**
	5.6(4)(ब)	जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन	**46**
	5.6(4)(स)	विद्युत आपूर्ति	**47**
	5.6(4)(द)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	**47**
	5.7	परिसंचरण	**47**
	5.7(1)	प्रस्तावित यातायात संरचना	**48**
	5.7(1)(अ)	सड़कों को चौडा करना एवं उनका सुधार	**50**
	5.7(1)(ब)	चौराहों का सुधार	**50**
	5.7(1)(स)	पार्किंग व्यवस्था	**50**
	5.7(2)	बस अड्डा तथा यातायात नगर	**50**
	5.7(3)	रेल एवं हवाई सेवा	**51**

	5.8	परिधि नियंत्रण पट्टी	**51**
	5.8(1)	ग्रामीण आबादी क्षेत्र	**52**
6		**;kstuk dk fØ;kUo;u**	**53&56**
	6.1	वर्तमान आधार	**53**
	6.2	प्रस्तावित आधार	**54**
	6.3	जन सहयोग एवं जन सहभागिता	**55**
	6.4	भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	**55**
	6.5	उपसंहार	**56**

ifjf'k"V%&

1. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम – 1959 (मास्टर प्लान) 57
2. राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम – 1962 के उद्धरण 59
3 (i) नगरिय क्षेत्र अधिसूचना दिनांक 16.07.2010 62
3(ii) राजकीय अधिसूचना दिनांक 15.02.2012 63

rkfydk &liph

Øe l[;k	rkfydk dk fooj.k	i"B l[;k
1	जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, केसरीसिंहपुर (1981–2010)	7
2	व्यावसायिक संरचना, केसरीसिंहपुर, 1991–2001 एवं 2010	8
3	विद्यमान भू–उपयोग, केसरीसिंहपुर, 2010	10
4	कच्ची बस्ती, केसरीसिंहपुर, 2010	11
5	औद्योगिक इकाईयां, केसरीसिंहपुर.–2010	13
6	सरकारी और अर्द्ध–सरकारी कार्यालय, केसरीसिंहपुर, 2010	14
7	शिक्षा सुविधाएं, केसरीसिंहपुर, 2010	16
8	चिकित्सा सुविधाएं, केसरीसिंहपुर, 2010	16
9	जलापूर्ति, केसरीसिंहपुर, 2010	18
10	विद्युत आपूर्ति, केसरीसिंहपुर, 2010	19
11	बसों/माल परिवहन का विवरण, केसरीसिंहपुर	22
12	जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, केसरीसिंहपुर (1981–2031)	27
13	व्यावसायिक संरचना, केसरीसिंहपुर, 2031	28
14	योजना परिक्षेत्र, केसरीसिंहपुर–2031	29
15	प्रस्तावित भू–उपयोग, केसरीसिंहपुर, 2031	33
16	प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, केसरीसिंहपुर–2031	36
17	औद्योगिक गतिविधियों के भू–उपयोग का विवरण, केसरीसिंहपुर 2031	38
18	राजकीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग का विवरण, केसरीसिंहपुर 2031	39
19	आमोद–प्रमोद, केसरीसिंहपुर–2031	40
20	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, केसरीसिंहपुर–2031	41
21	शैक्षणिक संरचना, केसरीसिंहपुर–2031	42
22	चिकित्सा सुविधाओं के भू–उपयेाग का विवरण, केसरीसिंहपुर 2031	43
23	अन्य सामुदायिक सुविधाओ के भू–उपयोग का विवरण, केसरीसिंहपुर–2031	44
24	जनोपयोगी सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, केसरीसिंहपुर 2031	45
25	परिसंचरण, केसरीसिंहपुर–2031	48
26	प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, केसरीसिंहपुर–2031	49
27	सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार, केसरीसिंहपुर–2031	49

1
ifjp;

केसरीसिंहपुर कस्बा राजस्थान के उत्तर में जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर से 28 किलोमीटर दूर जिले के पश्चिम दिशा में, सम्भागीय मुख्यालय बीकानेर से 269 किलोमीटर एवं राज्य की राजधानी जयपुर से 493 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

प्रशासनिक दृष्टि से यह श्रीगंगानगर जिले का उप तहसील मुख्यालय है, एवं यहाँ 'डी' श्रेणी की नगर पालिका स्थित है। यहाँ का तहसील मुख्यालय 25 कि.मी. दूरी पर श्रीकरणपुर है। केसरीसिंहपुर का जनगणना–2001 की दृष्टि से जिले में आठवाँ स्थान है।

केसरीसिंहपुर उत्तरी–पश्चिमी रेलवे का एक स्टेशन है, जो श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ से मीटर गेज (जो शीघ्र ब्रॉडगेज होने जा रही है) से जुड़ा हुआ है। केसरीसिंहपुर राज्य राजमार्ग–7 बी पर स्थित होने के कारण राज्य के अन्य नगरों यथा पदमपुर, श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, रायसिंहनगर, सूरतगढ, श्रीविजयनगर एवं अनूपगढ़ आदि से सड़क मार्ग द्वारा भली प्रकार से जुड़ा हुआ है, तथा देश की राजधानी दिल्ली से 459 किमी की दूरी पर है। यह माध्य समुद्र तल से लगभग 170 मीटर की ऊँचाई पर बसा हुआ है तथा थार रेगिस्तान में 29^0 56' उत्तरी अक्षांश एवं 73^0 37' पूर्वी देशान्तर पर है। इस नगर के ऐतिहासिक नाम फरीदसर से केसरीसिंहपुर बीकानेर राजधानी के महाराजा कर्णसिंह के शूरवीर पुत्र केसरीसिंह के नाम पर हुआ है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रशासनिक कार्यालयों, संस्थाओं एवं कुछ औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से केसरीसिंहपुर नगर का विकास हुआ है। केसरीसिंहपुर नगर के विकास के साथ–साथ जनसंख्या भी लगातार तीव्र गति से बढ़ने लगी। इसकी जनसंख्या वर्ष 1981 में 9738 थी। जो वर्ष 2001 में बढ़कर 13155 हो गई। नगर के पुरानी आबादी वाले क्षेत्रों का घनत्व अधिक है व बाहरी क्षेत्रों में घनत्व कम है। नगर के विकास के साथ–साथ आवासीय मकानों की सघनता, तंग सड़कों पर बढ़ता हुआ निरन्तर यातायात, अनियोजित एवं मिश्रित वाणिज्यिक स्थल, सार्वजिनक, अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अभाव जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। नगर में हो रहे विकास एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ–साथ आधारभूत सुविधाएं एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है। नगर के गन्दे पानी की निकासी एवं जल प्रवाह क्षेत्र को नियंत्रित करना जरूरी है तथा आम जनता के लिये स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के दृष्टिकोण से अव्यवस्थित विकास को रोकना जरूरी है।

वर्तमान समस्याओं के समाधान तथा नियोजित ढंग से विकास को बढ़ावा देने के लिए समुचित कदम उठाये जाने आवश्यक हैं। केसरीसिंहपुर के भावी विकास के लिए एक दीर्घकालीन योजना (मास्टर प्लान) की आवश्यकता महसूस की गई।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत दिनांक 16.07.2010 को अधिसूचना जारी कर 9 राजस्व ग्रामों/चकों को अधिसूचित करते हुए वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर को उक्त नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देशित किया है। नगर नियोजन विभाग द्वारा आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से मै0 याशी कन्सलटिंग सर्विसेज प्रा0 लि0 को मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु सलाहकार नियुक्त किया गया है। सलाहकार फर्म के माध्यम से केसरीसिंहपुर नगर का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण से आवश्यक सांख्यिकी सूचनाओं का संकलन किया गया है। इन सूचनाओं का गहन विश्लेषण कर मानचित्रों और विस्तृत आलेखों को तैयार किया गया, जो इस मास्टर प्लान की तैयारी की आधारशिला बने एवं तदनुरूप केसरीसिंहपुर के मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया गया। यह योजना जन समुदाय की आगामी 20 वर्षों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर तैयार की गई है। इस योजना का क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है।

मास्टर प्लान प्रारूप के साथ चार मानचित्र, क्रमशः विद्यमान भू–उपयोग 2010, प्रस्तावित भू–उपयोग योजना 2031, नगरीय क्षेत्र मानचित्र 2031 तथा नगर मानचित्र 2010 संलग्न हैं।

नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत है। इस मास्टर प्लान के सम्बन्ध में प्राप्त हुए प्रत्येक सुझाव एवं आपत्ति का विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है तथा समुचित सुझावों एवं आपत्तियों को समाहित कर मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया गया है।

¼जयबीर जाखड़½
वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन,
बीकानेर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक : प.10(142)नविवि/3/2010 दिनांक : 15.02.2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिषिष्ट 3 ii)

2-

fo|eku fo'k"krk,a

एक नगर मानवीय गतिविधियों का मुख्य केन्द्र होता है, जो कि अपने आस–पास के क्षेत्र से विशिष्ट सम्बन्ध बनाये रखता है। इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप यह अपने स्वयं के कार्य–कलापों को उत्पन्न करता है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि आने वाले दशकों में नगर के विकास को सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित करने हेतु नीति निर्धारण करने एवं प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व, क्षेत्र के सापेक्ष नगर की स्थिति, इसके योगदान तथा महत्व का अध्ययन किया जावे। साथ ही इसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व व्यवसायिक संरचना, भू–उपयोग तथा विकास प्रवृति एवं प्रगति का भी अध्ययन किया जाये, जिससे योजना मानवीय मानदण्डों के अनुरूप हो सके।

इन अध्ययनों से उन समस्त तत्वों का आकलन किया जा सकता है तथा उन तत्वों को पहचाना जा सकता है, जिनसे नगर का विकास प्रभावित हुआ है और जो भविष्य में भी नगरीय क्षेत्र को प्रभावित करते रहेंगे। इस अध्ययन में उन सभी तथ्यों एवं उनके प्रभावों का संक्षेप में उल्लेख है।

2-1 Hkkfrd Lo:i ,oa tyok;q

केसरीसिंहपुर राजस्थान के उत्तर में 29° 56' उत्तरी अक्षांश एवं 73° 37' पूर्वी देशान्तर पर माध्य समुद्र तल से लगभग 170 मीटर की ऊँचाई पर बसा हुआ है। केसरीसिंहपुर उत्तरी–पश्चिमी रेलवे का एक स्टेशन है, जो श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ से मीटर गेज (जो शीघ्र ब्रॉडगेज होने जा रही है) से जुड़ा हुआ है। केसरीसिंहपुर राज्य राजमार्ग–7 बी पर स्थित होने के कारण राज्य के अन्य नगरों/नगरों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। यहाँ से राज्य एवं जिले के मुख्य नगर यथा श्रीगंगानगर–28 किमी, श्रीकरणपुर–25 किमी, पदमपुर–50 किमी, रायसिंहनगर–85 किमी, अनुपगढ़–132 किमी, बीकानेर–269 किमी, जयपुर–493 किमी की दूरी पर सड़क मार्ग द्वारा है।

थार रेगिस्तान में बसा होने के कारण यहाँ की जलवायु लगभग सम्पूर्ण वर्ष गर्म और शुष्क रहती है। नगर के चारों ओर वर्तमान में गंग कैनाल नगर परियोजना से सिंचाई होने के कारण लगभग सम्पूर्ण उप तहसील क्षेत्र हरा–भरा

रहता है। राजस्थान के इस उत्तर पश्चिमी भाग में धूल भरी आंधियाँ आती हैं, जो कि इस भू–भाग की सामान्य विशेषता है। हवा की दिशाएं मुख्य रूप से अप्रैल से सितम्बर तक दक्षिण–पश्चिम से तथा अक्टूबर से मार्च तक उत्तर–पश्चिम और उत्तर–पूर्व की ओर से होती हैं। तापमान में अत्यधिक उतार–चढ़ाव का मुख्य कारण यहाँ का मौसम गर्म और शुष्क रहना है। गर्मी के मौसम में माह मई व जून में यहाँ का औसत न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेण्टीग्रेड एवं अधिकतम 47 डिग्री सेण्टीग्रेड तथा शीत ऋतु माह दिसम्बर व जनवरी में यहाँ का औसत न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेण्टीग्रेड रहता है। यहाँ मानसून का आना अनिश्चित रहता है। वर्तमान दशक में यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 214 मिली मीटर है। वर्तमान में यहाँ पर वर्ष 2002 में न्यूनतम वर्षा 77 मिली मीटर एवं वर्ष 2007 में अधिकतम वर्षा 330 मिली मीटर रही है।

2-2 {k=h; ifjn`{;

केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर जिले के अन्तर्गत उप तहसील मुख्यालय है। यह राजस्थान के उत्तर व जिला मुख्यालय के पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके दक्षिण में पदमपुर, पूर्व में श्रीगंगानगर व उत्तर–पश्चिम में पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। राजमार्ग–7 बी से यह नगर श्रीगंगानगर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, घड़साना, छतरगढ़ व बीकानेर से भलीभाँति जुड़ा हुआ है। इस प्रकार क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में यह राजस्थान के मुख्य जिला केन्द्रों से भलीभाँति जुड़ा हुआ है। यहाँ थार रेगिस्तान होने के बावजूद नहरों से सिंचाई होने से यह क्षेत्र हरा–भरा रहने लगा है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक होने से इसकी स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। केसरीसिंहपुर 'सी' श्रेणी की एक महत्वपूर्ण कृषि मण्डी है। यहाँ से उत्पादन राज्य के अन्य जिलों में एवं अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। मण्डी में प्रमुख सुविधाओं में केन्द्रीय व राज्य भण्डारण व्यवस्था, धान मण्डी एवं राजस्थान वेयर हाउसिंग इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो वर्तमान परिपेक्ष्य में पर्याप्त नहीं है।

इस क्षेत्र में अधिकांशतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली क्लेई लोम मिट्टी जो धान, गन्ना, ज्वार, सरसों, गेहूं, मक्का एवं नरमा आदि फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। दूसरी बालूई मिट्टी जिसमें बारानी फसलें होती हैं, इनमें बाजरा, ग्वार, मूंग व मोठ आदि फसलों की उपज होती है। केसरीसिंहपुर उप तहसील में गंग कैनाल परियोजना से पानी मिलने से अच्छी पैदावार होती है।

केसरीसिंहपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित है। यहाँ से गेहूं, धान, सरसों, कपास एवं खाद्य तेल आदि अन्य राज्यों में भेजा जाता है। यहाँ महावीर कॉटन मिल व मलकाना काटन मिल्स स्थित है, जो कि मौसमी आधार पर संचालित की जाती है। इन इकाईयों में कपास से रूई व बिनोले को पृथक् करने का कार्य किया जाता है।

2-3 ,frgkfld i"BHkfe

केसरीसिंहपुर के एतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक साक्ष्यों के अनुसार वर्ष 1889 में इस नगर की बसावट प्रारम्भ हुई थी। कहा जाता है कि किसी फकीर ने केसरीसिंहपुर बसाव को जन्म दे दिया। एक छोटे तालाब की वजह से यहाँ नगर की स्थापना हुई थी ।

वर्ष 1889 से 1899 की अवधि में यहाँ फरीद नामक व्यक्ति के बसने से बस्ती के लोगों की संख्या बढ़ने लगी। उसी बाबा फरीद के नाम पर यहाँ का नाम फरीदसर पड़ा जो कि आज भी बरकरार है ।

बीकानेर के महाराजा के अथक प्रयासों से 26 अक्टूबर, 1920 को इस नगर को हरा करने की योजना तैयार की गई, जिसके फलस्वरूप गंगनहर की स्थापना होने से नगर व नगर के आसपास के क्षेत्र की काया पलट होना शुरू हो गया। रेतीले टीलों पर मानवीय प्रवासों ने एक नवीन किस्म की कृषि संस्कृति को जन्म दिया। गंगनहर के यहाँ आते ही महाराजा गंगासिंह ने प्रोत्साहन दिया जाना शुरू किया और पंजाब से लोग यहाँ आकर आसपास के क्षेत्र में बसने शुरू हो गये। इसी समय नगर में जैन समुदाय के लोग भी आकर रहने लगे तथा उनके द्वारा यहाँ रहने वाले लोगों की दैनिक जरुरतों के समान की पूर्ति हेतु परचून की दुकानें खोली गई थीं।

नगर के विकास को गति प्रदान करने के लिए गंगनहर के साथ मई 1926 को एक रेल लाईन बिछाई गई। यह इसके आवागमन का यहाँ तक पहुँचने का अच्छा साधन बन गई एवं नगर की विस्तृत व्यापारिक गतिविधियों का आधार हो गयी। रेल लाईन जब नगर से होकर गुजरी तो इस नगर का नाम फरीदसर से केसरीसिंहपुर रखा गया। यह नाम बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह के शूरवीर पुत्र केसरीसिंह के नाम पर रखा गया। नगर में कानून व्यवस्था की दृष्टि से 1930 से 1933 के बीच यहाँ पुलिस थाना बन गया जो कि इससे पहले धनूर में था। नहर आने के कुछ समय पश्चात् ही यहाँ नायब तहसीलदार भी पदस्थापित किया गया जो कि पहले सादांवालीकोट में बैठता था।

नगर की आसपास की जमीन अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ फसलें बहुत अच्छी होने लगीं। इसी कारण केसरीसिंहपुर नगर आसपास के दूर दराज क्षेत्रों की मुख्य व्यापारिक मण्डी भी बन गया। पहले यहाँ वर्तमान पशु चिकित्सालय की जगह कच्ची मण्डी थी, जिसे 1943 में वर्तमान पक्की मण्डी वाली जगह में पक्की मण्डी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह आजादी से पहले से ही मुख्य व्यापारिक मण्डी हुआ करती थी। उस समय यहाँ बहावलपुर के मंगलोटगंज, घमण्डपुर व नगर के आसपास के क्षेत्रों से लाखों क्विंटल गेहूं आया करता था। उस समय यहाँ से मनों देसी घी बीकानेर रियासत में बिकने के लिए आता था, इसी कारण बीकानेर राजघराने की दृष्टि भी नगर के ऊपर अच्छी थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक यहाँ के जांबाजों के शक्ति एवं कौशल प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार के खेल मेले, गुलाम मण्डल द्वारा आयोजित करवाये जाते थे। ईद पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था जो कि आसपास के क्षेत्रों में उस समय काफी मशहूर था। यहाँ पर होने वाली प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेने के लिए आसपास की रियासतों से यहाँ काफी जांबाज आते थे और अपने कौशल से लोगों का दिल जीतने का प्रयास करते थे। इन खेलों को देखने के लिए यहाँ दूर–दराज के इलाकों से भारी भीड़ आती थी।

शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ 1945 में पहला प्राथमिक स्कूल खोला गया जो कि वर्तमान में सीनियर सैकण्डरी स्कूल बन चुका है।

2-4 tulkf[;dh

जनसंख्या की दृष्टि से केसरीसिंहपुर नगर जिले में आठवें स्थान पर है। प्रथम बार केसरीसिंहपुर को वर्ष 1981 की जनगणना में नगर की श्रेणी में रखा गया । उस समय इसकी जनसंख्या मात्र 9738 थी। जिसमें आने वाले दशकों में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 में केसरीसिंहपुर की जनसंख्या 11751 थी। इसके बाद के दशकों में जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 13155 तक पहुंच गई। वर्ष 2010 में यहाँ की जनसंख्या 15206 आंकी गयी है। केसरीसिंहपुर की उत्तरोत्तर वृद्धि का मुख्य कारण गंग कैनाल परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलना रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यहाँ सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों एवं व्यापार मण्डी, धान मण्डी एवं औद्योगिक इकाईयों की स्थापना होना भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण रहा है। केसरीसिंहपुर की जनसंख्या वृद्धि प्रवृति को तालिका–1 में दर्शाया गया है :–

rkfydk 1

tul[;k of) iofÙk] dljhflgij ¼1981&2010½

o"k	tul[;k	vUrj	ifr'kr
1981	9738	—	—
1991	11751	2013	20.67
2001	13155	1404	11.95
2010 (अनुमानित जनसंख्या)	15206	2051	15.59

स्त्रोत : भारतीय जनगणना व अनुमान

वर्ष 2001 में पुरूषों एवं महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत का अनुपात 54:46 था। यहाँ की साक्षरता दर 68.9 प्रतिशत है जो कि श्रीगंगानगर जिले की साक्षरता दर (64.74) से कम व राज्य की औसत साक्षरता दर (61.03) प्रतिशत एवं राष्ट्रीय दर 59.5 प्रतिशत से अधिक है। पुरूषों में शिक्षा का अनुपात 56.07 प्रतिशत एवं स्त्रियों में यह 43.93 प्रतिशत है। जनगणना 2001 के अनुसार औसत पारिवारिक आकार 5.70 व्यक्ति है व लिंग अनुपात 972 था जो कि जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर (873) व राज्य स्तर (922) व राष्ट्रीय स्तर (933) से अधिक है। केसरीसिंहपुर नगर लगभग 1146 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार नगरीयकृत क्षेत्र का जन घनत्व 41 व्यक्ति प्रति एकड़ था तथा अनुमानित जनसंख्या 2010 के अनुसार नगरीयकृत क्षेत्र का जन घनत्व 48 व्यक्ति प्रति एकड़ है।

2-5 0;olkf;d lajpuk

केसरीसिंहपुर में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात् वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 29.19 प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्ष 2001 में 30.00 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 3431 व्यक्ति व वर्ष 2001 में 3947 व्यक्ति नगर में विभिन्न कार्यकलापों में कार्यरत थे। वर्ष 2001 में कुल कार्यशील व्यक्तियों में से 13.50 प्रतिशत प्राथमिक सेक्टर 18.33 प्रतिशत द्वितीय सेक्टर में तथा 58.17 प्रतिशत तृतीय सेक्टर में लगे हुए थे। केसरीसिंहपुर की व्यवसायिक संरचना को तालिका–2 में दर्शाया गया है। इस तालिका का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि इस नगर में कृषि पर आधारित व्यापार एवं

वाणिज्यिक कार्यों में अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। इसका मुख्य कारण गंग कैनाल परियोजना से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होना रहा है।

rkfydk & 2

0;olkf;d lajpuk] dk ljhflagiqj] 1991&2001 ,oa 2010

Ø- l-	0;olk;	1991		2001 ¼vuqekfur½*		2010¼vuqekfur½*	
		0;fDr	dkexkjksa dk izfr'kr	0;fDr	dkexkjksa dk izfr'kr	0;fDr	dkexkjksa dk izfr'kr
1	काष्तकार, कृषि मजदूर, वानिकी इत्यादि	790	23.03	533	13.50	213	4.38
2	उद्योग	547	15.94	631	15.99	802	16.48
3	निर्माण	79	2.30	92	2.33	119	2.45
4	व्यापार एवं वाणिज्य	1107	32.26	1275	32.30	1575	32.37
5	परिवहन एवं संचार	222	6.48	257	6.52	417	8.56
6	अन्य सेवाएं	686	19.99	1159	29.36	1740	35.76
	dqy	**3431**	100.00	**3947**	100.00	**4866**	100.00
	dkexkjksa dk izfr'kr	**29-19**		**30-00**		**32-00**	

स्त्रोत : भारतीय जनगणना 1991, 2001´ एवं 2010´ अनुमानित

2-6 fo|eku Hkw&mi;ksx

केसरीसिंहपुर नगर लगभग 1146 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2010 में लगभग 313 एकड़ क्षेत्र नगरीयकृत है। नगर के कुल नगरीयकृत क्षेत्र में से 281 एकड़ विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जो लगभग 89.78 प्रतिशत है। शेष क्षेत्र, कृषि, रिक्त भूमि, जलाशय इत्यादि के अन्तर्गत आता है।

वर्तमान में रेलवे लाईन केसरीसिंहपुर नगर को उत्तर व दक्षिण दिशा में दो भागों में विभाजित करती है। नगर का लगभग 90 प्रतिशत विकास रेलवे लाईन के दक्षिण दिशा में हो रहा है। यह वृद्धि नगर से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग–7

बी के पश्चिम दिशा की तरफ अग्रसर है। राज्य मार्ग के पूर्व दिशा में विस्तार लगभग नगन्य है। नगर का कुछ विस्तार रेलवे लाईन के उत्तर दिशा में हुआ है। जहाँ मुख्य रूप से स्टेट वेयर हाउसिंग, पुलिस स्टेशन, स्कूल व अन्य आवासीय गतिविधियाँ संचालित हैं।

विद्यमान भू–उपयोग की गणना के आधार पर कुल विकसित क्षेत्र का 48.04 प्रतिशत आवासीय, 8.54 प्रतिशत वाणिज्यिक एवं 4.63 प्रतिशत औद्योगिक तथा 1.78 प्रतिशत राजकीय, 2.49 प्रतिशत आमोद–प्रमोद, 9.61 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक एवं 24.91 प्रतिशत क्षेत्र परिसंचरण के अन्तर्गत आता है। वाणिज्यिक गतिविधियाँ नगर में सड़कों के किनारे चल रही हैं, जहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अधिकांश भागों में मिश्रित भू–उपयोग है। यहाँ अभी तक रीको द्वारा कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया है।

राज्य राजमार्ग–7 बी के आसपास होटल, ढाबे एवं वाहनों की मरम्मत आदि का कार्य हो रहा है। धान मण्डी के पास गोदाम एवं वेयर हाउसिंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। सम्पूर्ण गतिविधियाँ नगर में ही केन्द्रित होकर रह गई हैं। नगर में केन्द्र व राज्य सरकार के सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय संचालित हैं, इनमें अधिकतम कार्यालय रेलवे लाईन के दक्षिण दिशा में स्थित हैं। जिनमें वार्ड नं. 2 में भारत दूर संचार निगम लि. व पोस्ट ऑफिस, वार्ड नं. 4 में कृषि उपज मण्डी समिति, वार्ड नं. 7 में उप तहसील एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग, वार्ड नं. 14 में क्रय–विक्रय सहकारी समिति के कार्यालय इत्यादि स्थित हैं। नगर में अन्य स्थानों पर केन्द्रीय भण्डारण निगम का गोदाम, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, सिंचाई विभाग, विश्राम गृह एवं पुलिस थाना इत्यादि स्थित हैं। उपर्युक्त समस्त कार्यालयों के कारण नगर पर निरन्तर यातायात दवाब बना रहता है। अतः धीरे–धीरे जनता का मानस नगर के बाहरी क्षेत्रों में बसने का बनता जा रहा है।

उपर्युक्त समस्त उपयोगों हेतु नगर पालिका के कुल 1146 एकड़ क्षेत्र में से 313 एकड़ क्षेत्र वर्तमान में नगरीयकृत एवं 281 एकड़ विकसित क्षेत्र है। वर्ष 2010 में यहाँ की जनसंख्या का आकलन 15206 व्यक्ति किया गया है। इस

प्रकार कुल नगरीयकृत क्षेत्र का जन घनत्व 48 व्यक्ति प्रति एकड़ है। केसरीसिंहपुर के विद्यमान भू–उपयोग 2010 को तालिका–3 में दर्शाया गया है।

rkfydk 3

fo|eku Hkw&mi;ksx] dsljhflagiqj] 2010

Ø-l-	Hkw & mi;ksx	{ks=Qy ¼,dM+½	fodflr {ks= dk çfr'kr	Ukxjh;d`r {ks= dk izfr'kr
1	आवासीय	135	48.04	43.13
2	वाणिज्यिक	24	8.54	7.67
3	औद्योगिक	13	4.63	4.15
4	राजकीय	5	1.78	1.60
5	आमोद–प्रमोद	7	2.49	2.24
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	27	9.61	8.63
7	परिसंचरण	70	24.91	22.36
	fodflr {ks=	**281**	**100.00**	**89.78**
8	कृषि	12		3.83
9	रिक्त भूमि	13	-	4.15
10	जलाशय	7	-	2.24
	Ukxjh;d`r {ks=	**313**	**-**	**100.00**

स्त्रोत – सलाहकार, सर्वेक्षण एवं आकलन

2-6-1 vkoklh;

केसरीसिंहपुर में विद्यमान भू–उपयोग के अनुसार 135 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ विकसित हो चुकी है। केसरीसिंहपुर का कुल नगरीयकृत क्षेत्र 313 एकड़ है, जो कुल नगर पालिका क्षेत्र का लगभग 27.31 प्रतिशत है। कुल आवासीय घनत्व वर्ष 2010 में 113 व्यक्ति प्रति एकड़ है। पुराने नगर की आबादी का औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 56 व्यक्ति प्रति एकड़ है, एवम् बाहरी विकसित क्षेत्र का औसत जन घनत्व लगभग, 11 व्यक्ति प्रति एकड़ है। आवासीय क्षेत्र मुख्य रूप से नगर पालिका एवं मण्डी विकास समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत् विकसित किया गया है। केसरीसिंहपुर नगर में उच्च घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र वार्ड संख्या 4, 5 एवं 10 हैं। नगर में अधिकतम जन घनत्व वार्ड नं. 10 में है।

पुराने नगर में आवासीय बसावट काफी सघन है एवं खुले क्षेत्रों का सर्वथा अभाव है। सड़कों का रख–रखाव असन्तोषप्रद है। भवन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सड़कें एवं गलियाँ आपस में समकोण पर मिलती हैं।

2-6-1¼v½ vkokl u

भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार केसरीसिंहपुर नगर में 2477 परिवार 3274 मकानों में निवास करते थे। जबकि वर्ष 2010 में लगभग 2784 परिवार लगभग 3629 मकानों में निवास करते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि केसरीसिंहपुर में आवासों की उपलब्धता संतोषजनक है।

2-6-1¼c½ dPph cfLr ;k¡

नगर में राजकीय भूमि पर कच्ची बस्तियाँ विकसित हो गई हैं। कच्ची बस्तियों में वर्तमान में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। केसरीसिंहपुर में कुल निम्नलिखित 9 कच्ची बस्तियाँ हैं, जो विभिन्न वार्डों में स्थित हैं। तालिका–4 में केसरीसिंहपुर कच्ची बस्तियों का विवरण दर्शाया गया है। निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है कि केसरीसिंहपुर में आधार वर्ष 2010 में अनुमानित जनसंख्या 15206 में से लगभग 8222 व्यक्ति जो कुल अनुमानित जनसंख्या का लगभग 54.07 प्रतिशत है। कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे हैं।

rkfydk 4

dPph cLrh] dsl jhfl agi qj] 2010

Ø-l-	dPph cLrh dk uke	okMZ l-	tul[;k	ifjokjksa dh l[;k
1	साधावाली काट	1	1004	228
2	हरिजन बस्ती	4	894	162
3	कुए के पास	5	930	238
4	धक्का बस्ती	7	888	252
5	हरिजन कॉलोनी छोटी	9	956	234
6	रिफयूजी कॉलोनी	10	804	201
7	धानक बस्ती	11	960	226
8	बाजीगर मोहल्ला	12	826	141
9	रेलवे स्टेशन के सामने	15	960	203
	;ksx		**8222**	**1885**

स्त्रोतः नगरपालिका, केसरीसिंहपुर

2-6-1¼l½ 'kgjh uohuhdj.k

अभी तक केसरीसिंहपुर में किसी क्षेत्र का पुनर्स्थापना, पुनर्विकास एवं नवीनीकरण का कार्यक्रम नहीं चलाया गया है, जो कि समय के साथ अति–आवश्यक है। भविष्य में नई योजनाएं बनाते समय कच्ची बस्तियों एवं पुराने क्षेत्रों का पुनर्विकास तथा नवीनीकरण किया जावेगा।

2-6-2 okf.kfT;d

केसरीसिंहपुर नगर में वाणिज्यिक गतिविधियों के अन्तर्गत वर्तमान में नगर में कुल विकसित क्षेत्र में लगभग 24 एकड़ भूमि को वाणिज्यिक उपयोग में लिया जा रहा है। केसरीसिंहपुर की बढ़ रही जनसंख्या के लिये माँग व भूमि की कीमतों के कारण वाणिज्यिक क्षेत्रों में अतिक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससें इन क्षेत्रों में अतिक्रमण के भारी दबाव के कारण बाजार अव्यवस्थित होते जा रहे हैं।

केसरीसिंहपुर में सुनियोजित मार्केट काम्पलेक्स का अभाव है। नगर के मध्य क्षेत्र में तहबजारी, छोटी धान मण्डी, अनाज मण्डी, शॉपिंग सेण्टर व सुभाष मार्केट वार्ड नं. 14 व 15 में स्थित हैं। नगर से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग–7 बी पर लगभग 100–150 दुकानों के अतिरिक्त ट्रक टर्मिनल, ऑयल मिल, सिनेमा एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ इसी सड़क पर स्थित होने के कारण यह मार्ग अति–व्यस्त रहता है। नगर के अन्य मार्गों पर भी व्यवसायिक गतिविधियों के कारण अधिकांश स्थानों पर अतिक्रमण हो चुका है। नगर के समस्त मुख्य मार्ग राज्य राजमार्ग–7 बी में आकर मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप नगर के मध्य क्षेत्र में यातायात के दवाब की समस्या निरन्तर बनी रहती हैं।

केसरीसिंहपुर मुख्य रूप से कृषि विपणन बजार के रूप में विकसित होता आाया है। व्यापारिक दृष्टिगत से मण्डी अथवा प्रमुख स्थान रखती है। इस उप तहसील क्षेत्र में रबी की फसलों में गेहूँ, सरसों, चना तथा खरीफ की फसलों में में कपास, गन्ना, मूंग, ज्वार, बाजरा इत्यादि होती हैं।

2-6-3 vkS|ksfxd

औद्योगिक दृष्टि से केसरीसिंहपुर काफी पिछड़ा हुआ है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वर्ष 1981 तक यहाँ छोटे मोटे उद्योगों के अलावा कोई मुख्य औद्योगिक इकाई नहीं थी। वर्तमान में यहाँ पर गंग कैनाल की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण यहाँ कृषि आधारित उद्योग लगने लगे। यहाँ पर केवल 2 लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। जनसंख्या वृद्धि से कामगारों की उपलब्धता सुगम हो गई है। यहाँ पर केवल 03 लघु व मध्यम उद्योग हैं, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र मे स्थित हैं इनमें वार्ड नं. 13 में महावीर कॉटन व ऑयल मिल्स एवं वार्ड नं. 1 में मलकाना कॉटन मिल्स स्थित हैं। यहाँ विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में 50 कामगार कार्यरत हैं। नगर में हानिकारक उद्योग भी विभिन्न जगह में स्थित हैं। जैसे कि सोप फैक्ट्री, पाईप

फैक्ट्री एवं इनके अतिरिक्त नगर में दो बैटरी उद्योग भी हैं। सोप फैक्ट्री उद्योगों में कुल 26 कामगार कार्यरत हैं। यहाँ पर कृषि उद्योग में एक नेस्ले का प्लाण्ट वार्ड नं. 12 मे स्थित है। हानिकारक उद्योगों के कारण नगर में वातावरण प्रदूषित रहता है। अतः इनको नगर के बाहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है ।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर कुल कार्यरत व्यक्तियों का 15.94 प्रतिशत औद्योगिक गतिविधियों में कार्यरत थे, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 15.99 प्रतिशत ही हुआ है। वर्ष 2010 में यह 802 व्यक्ति एवं 16.48 प्रतिशत है। रीको द्वारा इस क्षेत्र में कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया है।

उपर्युक्त उद्योगों के अतिरिक्त उद्योग विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यहाँ अन्य औद्योगिक इकाईयां विद्यमान हैं। जिला उद्योग केन्द्र, श्रीगंगानगर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 23 पंजीकृत औद्योगिक इकाईयां नगर में कार्यरत हैं तथा इनमें लगभग 134 कामगार लगे हुए हैं। नगर के विभिन्न मार्गों में चर्म, खाद्य तेल, लकड़ी, सीमेण्ट, कॉटन, मरम्मत एवं सेवा कार्य, लोहा इत्यादि पर आधारित औद्योगिक इकाईयां लगी हुई हैं। यहाँ किसी प्रकार का वृहद् उद्योग अथवा खनन क्षेत्र नहीं है। उद्योग विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अन्य औद्योगिक इकाईयों का विवरण तालिका–5 में दर्शाया गया है।

rkfydk 5

vk|kfxd bdkb;k] dl jhfl gi j&2010

Øe l[;k	vk|kfxd bdkb;k d idkj	bdkb;k dh l[;k	bdkb;k e dk;jr Jfedk dh l[;k
1	कृषि वन आधारित	2	15
2	वन उपज आधारित	1	3
3	पशुधन आधारित	5	30
4	खनिज आधारित	–	–
5	अभियांत्रिक आधारित	10	55
6	वस्त्र उद्योग आधारित	2	13
7	रसायन आधारित	–	–
8	अन्य	3	18
	dy	**23**	**134**

स्त्रोतः जिला उद्योग कार्यालय, श्रीगंगानगर

2-6-4 jktdh;

2-6-4¼v½ ljdkjh ,o v)&ljdkjh dk;ky;

वर्तमान में केसरीसिंहपुर में 11 कार्यालय कार्यरत हैं, जिनमें केन्द्र सरकार के 4, राज्य सरकार के 4 एवं 4 अर्द्ध–सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इनमें लगभग 92 कर्मचारी कार्य करते हैं। अधिकतम कार्यालय नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित हैं। केन्द्र सरकार के 3 सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय में रेलवे, केन्द्रीय भण्डारण निगम, एवं दूर संचार विभाग हैं। राज्य सरकार के 4 सरकारी कार्यालयों में उप तहसील, कृषि विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सीआईडी विभाग के कार्यालय एवं 4 अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों में स्वायत्त शासन विकास विभाग के अधीन, वार्ड नं. 15 में नगर पालिका कार्यालय वार्ड नं. 4 में कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय, वार्ड नं. 14 में क्रय–विक्रय सहकारी समिति कार्यालय व नगर पालिका की सीमा के बाहर जोधपुर विद्युत वितरण निगम का कार्यालय स्थित है। इन भवनों में कार्यस्थलों का समुचित स्थान है। इन कार्यालयों के अन्तर्गत वर्तमान में 5.00 एकड़ भूमि जो कि कुल विकसित क्षेत्र का मात्र 1.78 प्रतिशत है, जो उपयोग में आ रही है। सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों की स्थिति को तालिका–6 में दर्शाया गया हैः–

rkfydk 6

ljdkjh vkj v)&ljdkjh dk;ky;] dk ljhflgij&2010

Ø-l-	dk;ky; dk idkj	dk;ky;k dh l[;k	dk;jr depkfj;k dh l[;k
1	केन्द्र सरकार कार्यालय	3	12
2	राज्य सरकार कार्यालय	4	13
3	अर्द्ध सरकारी कार्यालय	4	67
	;kx	**11**	**92**

स्त्रोतः नगरपालिका, केसरीसिंहपुर

2-6-5 vkekn&iekn

वर्तमान में आमोद–प्रमोद में केसरीसिंहपुर काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर आमोद–प्रमोद के अन्तर्गत लगभग 7 एकड़ भूमि है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का मात्र 2.49 प्रतिशत है। इस उपयोग के लिये कम भूमि होना यहाँ पर इन साधनों की कमी का होना दर्शाता है। वर्तमान में यहाँ वार्ड नं. 2 में सामुदायिक पार्क की सुविधा है। यहाँ पर नगरीय स्तर का पार्क केवल सुभाष पार्क है, जो वार्ड नं. 4 में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2 एकड़ है।

इनके अतिरिक्त नगर में खेल–कूद हेतु स्टेडियम है, जो कि वार्ड नं. 1 में कुल 3 एकड़ भूमि पर स्थित है। उपर्युक्त समस्त पार्क में आधारभूत सुविधाओं की कमी है। पार्क में विद्युत व पानी का अभाव है। केसरीसिंहपुर में मनोरंजन हेतु कोई क्लब या संस्था नहीं है। नगर में अर्द्ध–सार्वजनिक मनोरंजन हेतु कोई समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर अस्थाई व्यवस्था के तहत् धार्मिक व नागरिक जागरूकता हेतु समय–समय पर नगर पालिका एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं।

2-6-5¼v½ eys ,oa i;ZVu lqfo/kk,¡

केसरीसिंहपुर नगर में प्रति वर्ष बाबा रामदेव दिवस के शुभ अवसर पर मेले का अयोजन किया जाता है, जो माह सितम्बर में 3 दिन चलता है। इस मेले के शुभ अवसर पर आसपास के समस्त ग्रामों से विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों का आगमन होता है। लोगों में धार्मिक, सामाजिक एवं आपसी सहयोग की भावना जागृत करने के लिये इस मेले का काफी महत्व माना जाता है।

2-6-6 lkoZtfud ,oa v)Z&lkoZtfud

सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक सुविधाएं, चिकित्सा, धार्मिक, ऐतिहासिक, जनोपयोगी सुविधाएं तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएं आदि सम्मिलित हैं। नगर के विकास एवं जनसंख्या में वृद्धि के साथ सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार/विकास नहीं होने से वर्तमान उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं। सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत विद्यमान भू–उपयोग–2010 के अनुसार लगभग 27 एकड़ भूमि है, जो विकसित क्षेत्र का 9.61 प्रतिशत है।

2-6-6 ¼v½ 'kS{kf.kd lqfo/kk,¡

केसरीसिंहपुर में शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है। यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं की संख्या पर्याप्त है। यहाँ 2 महाविद्यालय, 6 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 4 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 9 प्राथमिक विद्यालय हैं। यहाँ निजी विद्यालय काफी संख्या में है। यहाँ महाराजा गंगासिंह कॉलेज डिग्री महाविद्यालय जो कि स्टेडियम के समीप राज्य राजमार्ग–7 बी पर नगर के दक्षिणी दिशा एवं श्री गुरूनानक बालिका महाविद्यालय, वार्ड नं. 15 में स्थित है नगर में 11 विद्यालय सरकारी व 8 निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 5140 विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। नगर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नव निर्मित नगर पालिका भवन के समीप, राजकीय माध्यमिक विद्यालय राज्य

राजमार्ग पर, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नगर के मध्य क्षेत्र में व अन्य विद्यालय, नगर के दक्षिण–पूर्वी भाग में संचालित है। महाविद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान इत्यादि की सुविधाओं हेतु पर्याप्त स्थान है। केसरीसिंहपुर में शिक्षा सुविधाओं की स्थिति को तालिका–7 में दर्शाया गया हैः–

rkfydk&7

f'k{kk lqfo/kk,a dslj hflagiqj&2010

Ø-l-	fo|ky;ksa dk izdkj	fo|ky;ksa dh la[;k	fo|kfFkZ;ksa dh la[;k
1	महाविद्यालय	2	720
2	उच्च माध्यमिक	6	2708
3	उच्च प्राथमिक	4	563
4	प्राथमिक	9	1149
	;ksx	**21**	**5140**

स्त्रोतः नगर पालिका, केसरीसिंहपुर, 2010

2-6-6¼c½ fpfdRlk lqfo/kk,a

केसरीसिंहपुर नगर में वार्ड न. 14 में एक राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इसमें 30 शैयाएं हैं जो लगभग 2 शैयाएं प्रति एक हजार व्यक्तियों के लिए है। यहाँ एम्बुलेंस, एक्स–रे मशीन, ईसीजी आदि की सुविधाएं हैं। इनके अतिरिक्त नगर के वार्ड नं. 14 में 1 निजी नर्सिंग होम भटिण्डा नर्सिंग होम के नाम से संचालित हैं, जिसमें 2 शैयाओं की सुविधाएं हैं। वार्ड नम्बर 14 में राजकीय पशु चिकित्सालय व वार्ड नं. 15 में निजी हौम्योपेथिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। नगर की जनसंख्या के अनुपात में उपर्युक्त स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं। वर्तमान में नगर में चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत केवल 1 एकड़ भूमि विद्यमान है। केसरीसिंहपुर में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति को तालिका–8 में दर्शाया गया है।

rkfydk&8

fpfdRlk lqfo/kk,a dslj hflagiqj&2010

Ø-l-	fpfdRlk lqfo/kk	la[;k	miyC/k 'kS¸;k
1	राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य भवन	1	30
2	निजी स्वास्थ्य केन्द्र, भटिण्डा नर्सिंग होम	1	2
3	राजकीय पशु चिकित्सालय	1	-
4	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	1	
5	होम्योपेथिक चिकित्सा सुविधा	1	-
	;ksx	**5**	**32**

स्त्रोतः नगर पालिका, केसरीसिंहपुर

2-6-6¼l½ lkekftd@lkLd`frd@/kkfeZd@,frgkfld

केसरीसिंहपुर में सामाजिक/सांस्कृतिक गतिविधियाँ सामान्य स्तर की होने के कारण विभिन्न समुदायों के व्यक्ति नगर में उपलब्ध रिक्त स्थलों में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यहाँ वर्ष में एक बार बाबा रामदेव का मेला माह सितम्बर में लगता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समुदायों के धार्मिक त्यौहार नगर में हर्षोउल्लास से मनाये जाते हैं। नगर के विभिन्न स्थानों पर मंदिर, गुरूद्वारे इत्यादि धार्मिक स्थल हैं। उनमें स्थानीय लोग पूजा व प्रार्थनाएं करते हैं। केसरीसिंहपुर में हिन्दू, सिख व ईसाई धर्म के समुदायों के अनेक धार्मिक स्थल हैं। यहाँ पर 7 मन्दिर एवं 4 गुरूद्वारे एवं 1 चर्च हैं। मन्दिरों में मुख्य रूप से शिव, हनुमान, दुर्गा, बाबा रामदेव, झूलेलाल व शीतला माता का मन्दिर प्रमुख हैं। जो कि नगर के वार्ड संख्या 2, 3, 5, 9, 11 व 12 में स्थित हैं। नगर में 4 गुरूद्वारे जो कि क्रमशः वार्ड संख्या 1, 2, 14 एवं 7 में स्थित हैं। नगर में एकमात्र चर्च वार्ड संख्या 7 में स्थित है। ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का यहाँ अभाव है। उपर्युक्त समस्त धार्मिक स्थल हेतु लगभग 5 एकड़ भूमि विद्यमान है।

2-6-6¼n½ vU; lkeqnkf;d lqfo/kk,a

अन्य सामुदायिक सुविधाओं में 3 सामुदायिक केन्द्र जो क्रमशः वार्ड नं. 1, 10 एवं 12 में, पुलिस थाना (सुधार गृह) वार्ड नं. 1 में रेलवे स्टेशन के सामने सिंचाई विभाग का एक रेस्ट हाऊस, वार्ड नं. 15 में नगर से मलेथाना को जाने वाली सड़क पर स्थित है। यहाँ पर कोई अग्निशमन केन्द्र की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं । यहाँ का निकटतम अग्निशमन केन्द्र श्रीकरणपुर में 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उपर्युक्त समस्त अन्य सामुदायिक सुविधाएं हेतु लगभग 7 एकड़ भूमि विद्यमान है।

2-6-6¼;½ tuksi;ksxh lqfo/kk,a

2-6-6¼;½ (i) tykiwfrZ

नगर में जल प्राप्ति का मुख्य स्त्रोत यू माईनर वितरिका है, जो जलदाय योजना से 1.8 किमी की दूरी पर स्थित है। नगर को प्रतिदिन लगभग 2.72 क्यूसैक पानी की आपूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त नगर में 4 सार्वजनिक नलकूप एवं 23 हैण्डपम्प हैं। नगर में प्रतिदिन 1200 किलोलीटर पानी वितरित किया जाता है। यह लगभग 80 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। नगर में पर्याप्त दबाव से जल वितरण के लिए 2 ओवरहैड टैंक निर्मित हैं, जिनकी कुल क्षमता 1200 किलो लीटर है। इसके अतिरिक्त नगर में दो सी.डब्ल्यू.आर. जिनकी कुल

क्षमता 650 किलो लीटर है, के माध्यम से दिन में एक बार एक से डेढ़ घण्टे की अवधि में पानी का वितरण किया जाता है। नहरी वितरिका का पानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नगर के दक्षिण–पूर्वी भाग में राज्य राजमार्ग–7 बी पर संचालित जलदाय योजना जिसमें 3 रॉ वाटर टैंक जिनकी कुल क्षमता 39000 किलो लीटर है, के माध्यम से एकत्रित कर फिल्टर के माध्यम से शुद्धिकरण उपरान्त वितरित किया जाता है। यहाँ कुल 2324 कनेक्शन हैं। केसरीसिंहपुर में जलापूर्ति की स्थिति को तालिका–9 में दर्शाया गया हैः–

rkfydk 9

tykifr] dljhflgij&2010

Ø-l-	mi;kx	duD'ku dh l[;k
1	घरेलू	1985
2	व्यवसायिक	324
3	औद्योगिक	15
	;kx	**2324**

स्त्रोतः जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, केसरीसिंहपुर, 2010

2-6-6¼;½ (ii) ey&ty fudkl ,oa Bkl dpjk icU/ku

केसरीसिंहपुर में मल–जल निकास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। वर्षा के पानी के निकास के लिये नालियों का उचित प्रावधान नहीं है, जिससे वर्षा के मौसम में पानी इधर–उधर सड़कों पर भरा रहता है तथा यातायात में बाधा आती रहती है। नगर पालिका ने कुछ स्थानों पर नालियों का निर्माण करवाया है। परन्तु अभी भी सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। नगर के अधिकांश मकानों में सैप्टिक टैंक या सोक पिट की व्यवस्था है। स्वच्छ नगर के लिये सीवरेज प्रणाली की आवश्यकता है। नगर में गन्दे पानी का निस्तारण खुले नाले के माध्यम से नगर के मध्य में उपलब्ध प्राकृतिक ढलान पर बने गन्दे तालाब (छापड़) में किया जाता है। वर्तमान में केसरीसिंहपुर नगर पालिका द्वारा खुली नालियों की सफाई का कार्य स्वयं के स्तर एवं निजी ठेका पद्धति पर किया जा रहा है। नगर में प्रतिदिन ठोस कचरे का निस्तारण नगर के वार्ड संख्या 12 में बाजीगर मोहल्ला के दक्षिण–पश्चिम कोने में किया जा रहा है। इस हेतु 2

ट्रेक्टर ट्राली लगायी गयी है। वर्तमान में कचरा निस्तारण हेतु स्थल निर्धारित नहीं है। अतः कचरा प्रबंधन किया जाना जरूरी है।

2-6-6¼;½ (iii) fo|r vkifr

केसरीसिंहपुर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। नगर में कुल 18500 यूनिट प्रतिदिन बिजली सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लाण्ट से प्राप्त होती है। यह आपूर्ति 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन द्वारा वितरित की जाती है, जो केसरीसिंहपुर से धानुर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। विद्युत सब स्टेशन राज्य की मुख्य विद्युत प्रणाली से जुड़ा है। यहाँ आवश्यकता पड़ने पर प्रतिदिन 3–6 घण्टे की अवधि तक विद्युत कटौती की जाती है। यहाँ 18500 यूनिट प्रतिदिन बिजली की खपत है। जबकि नगर की बढ़ती जनसंख्या के लिये एवं विभिन्न सेक्टरों में बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों के लिये अधिक बिजली की आवश्यकता है। वर्ष 2010 में नगर में विद्युत कनेक्शनों की संख्या को तालिका–10 में दर्शाया गया है।

rkfydk 10

fo|r vkifr] dl jhfl gij&2010

Ø-l-	mi;kx	duD'ku dh l[;k
1	घरेलू	1747
2	व्यवसायिक	592
3	औद्योगिक	65
	;kx	**2404**

स्त्रोतः जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, केसरीसिंहपुर, 2010

2-6-6¼;½ (iv) 'e'kku ,o dfcLrku

वर्तमान में श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थल नगर के अन्दरूनी हिस्सों में हैं। क्योंकि पूर्व में जब श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थल निर्धारित किये गये थे, उस समय नगर की जनसंख्या बहुत ही कम थी तथा नगर का अधिक विकास नहीं हुआ था। केसरीसिंहपुर नगर में वर्तमान में एक कब्रिस्तान है जो कि नगर के दक्षिण दिशा में वार्ड नं. 1 में स्थित है।

यदि नगर में श्मशान अथवा कब्रिस्तान हेतु क्षेत्र कम पड़ते हैं तो और श्मशान एवं कब्रिस्तान परिधि नियंत्रण क्षेत्र में प्रस्तावित किये जा सकते हैं।

प्रयास यह भी रहना चाहिए कि यदि कोई श्मशान नगर के बीचों बीच विकसित क्षेत्र में आ गया हो तो उसे नगर के बाहर परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाए।

2-6-7 ifjlapj.k

परिसंचरण में नगर की यातायात व्यवस्था, नगर की समस्त सड़कों, बस तथा ट्रक टर्मिनल एवं रेलवे सेवा सम्मिलित की जाती हैं। वर्तमान में नगर में परिसंचार के अन्तर्गत लगभग 70 एकड़ भूमि उपयोग में आ रही है जो विकसित क्षेत्र का लगभग 9.61 प्रतिशत है।

2-6-7¼v½ ;krk;kr 0;oLFkk

केसरीसिंहपुर में उत्तर–पश्चिम रेलवे की छोटी रेल लाईन है। (शीघ्र ब्रॉडगेज होने जा रही है) जो इसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ इत्यादि नगरों से जोड़ती है। राज्य राजमार्ग–7 बी, जो कि केसरीसिंहपुर को श्रीकरणपुर से जोड़ता है। इस नगर का प्रमुख मार्ग है। इसके अतिरिक्त यह नगर विभिन्न सड़क मार्गों द्वारा जिले के अन्य नगर यथा पदमपुर, अनुपगढ़ रायसिंहनगर, घड़साना, छतरगढ़ इत्यादि से भली प्रकार जुडा हुआ है। भविष्य में नगर के विकास हेतु उक्त रेल मार्ग व सड़क मार्ग का प्रमुख योगदान रहेगा।

उपर्युक्त राज्य मार्ग के अतिरिक्त नगर में समानान्तर सड़कों एवं गलियों का जाल बिछा हुआ है। केसरीसिंहपुर राज्य राजमार्ग–7 बी पर सिनेमा हॉल, ऑयल मिल, आरा मशीन, व अन्य व्यवसायिक व शैक्षणिक गतिविधियाँ, संचालित होने के कारण यह सड़क अतिव्यस्त है। नगर का बस स्टेण्ड नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित है। इसी क्षेत्र में नगर की समस्त व्यवसायिक गतिविधियाँ यथा तहबजारी, छोटी धान मण्डी, शॉपिंग सेण्टर, सुभाष मार्केट इत्यादि संचालित हैं। नगर की समस्त सड़कें राज्य मार्ग में आकर मिलती हैं। जिसके कारण नगर के मध्य क्षेत्र में निरन्तर यातायात का दवाब बना रहता है। नगर के उत्तरी–पूर्वी भाग में गुरूनानक बालिका महाविद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्टेडियम, दनगरा मैदान, मल्काना कॉटन मिल, राजकीय चिकित्सालय, बस स्टेण्ड, मण्डी समिति, धान मण्डी एवं रेलवे लाईन के उत्तरी वाले भाग में विद्युत सब स्टेशन, पुलिस थाना, सिंचाई विभाग का विश्राम गृह इत्यादि स्थित हैं। नगर के उत्तरी–पूर्वी दिशा में केन्द्रीय भण्डारण निगम का गोदाम, सिनेमा हॉल, ऑयल मिल, गौशाला इत्यादि स्थित हैं। नगर के दक्षिण–पूर्वी भाग में शैक्षणिक व

आवासीय गतिविधियाँ मुख्य रूप से संचालित हैं। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि नगर में विभिन्न भू–उपयोगों हेतु एक–समान रूप से गतिविधियाँ संचालित हैं, जिसके कारण नगर में यातायात का दवाब निरन्तर बना रहता है।

नगर के अन्दर सड़कों के साथ–साथ मकान एवं दुकानें बनी हुई हैं। नगर में अधिकांशतः मिश्रित भू–उपयोग हैं। सड़कों के किनारे वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण अतिक्रमण हो रहा है एवं अव्यवस्थित पार्किंग से भी सड़कों की चौड़ाई कम हो गई। राज्य राजमार्ग–7 बी की चौड़ाई नगर के मध्य में काफी कम रह गई है। नगर के छोटे रास्तों के साथ–साथ मकानों के आगे चबूतरे बनने से ये रास्ते भी संकरे हो गये हैं। नगर के व्यवसायिक मार्गों एवं चौराहों पर अतिक्रमण हो रहा है, जिससे सुगम यातायात में बाधा आती है। चूंकि नगर पुराना बसा हुआ है। अतः सड़क की चौड़ाई बढ़ाना संभव नहीं है तथा यह आवश्यक है कि सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाये एवं बस तथा टैक्सी स्टेण्ड, धान मण्डी नगर से बाहर स्थानान्तरित किये जाएं, जिससे नगर की आन्तरिक सड़कों पर बड़े वाहन जैसे बस, ट्रक इत्यादि का आवागमन रोका जा सके। राजमार्ग–7 बी के बाहरी क्षेत्रों में ज्यादा अतिक्रमण नहीं हुआ है। अतः भविष्य में इस मार्ग पर निगरानी रखना अति–आवश्यक है। नगर में खुले स्थल काफी कम हैं। अतः सुनियोजित व्यवसायिक केन्द्र एवं पार्किंग की व्यवस्था हेतु नगर के मध्य स्थित धान मण्डी को बाहर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इसके फलस्वरूप रिक्त हुए स्थान को व्यवसायिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाकर इसमें उपलब्ध रिक्त प्रांगण को पार्किंग प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है।

2-6-7¼c½ cl rFkk V'd Vfe'ul

नगर में अव्यवस्थित रूप से संचालित बस स्टेण्ड नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित है, जहाँ से काफी समय से बसों का संचालन किया जा रहा है। नगर के मध्य क्षेत्र में गुरूद्वारे के समीप स्थित होने के कारण प्रतिदिन यातायात का दवाब व दुर्घटना की आंशका बनी रहती है। केसरीसिंहपुर से राज्य परिवहन निगम द्वारा 13 बसों का संचालन श्रीगंगानगर, फिरोजपुर, बीकानेर व दिल्ली के लिये किया जाता है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र द्वारा 23 बसों की सुविधा अन्य नगरों के लिये उपलब्ध करवाई जा रही है। यहाँ पर माल परिवहन सेवा भी उपलब्ध है। नगर से माल परिवहन सेवा ट्रक, मेटाडोर, जीप, कार व ट्रेक्टर द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। केसरीसिंहपुर से प्रतिदिन अन्य राज्यों से आवागमन हेतु

संचालित की जा रही बसों व माल परिवहन सेवा का विवरण तालिका–11 में दर्शाया गया है।

rkfydk&11

clks@eky ifjogu dk fooj.k] dljhflgiqj

Ø-l-	cl dk ekxZ	clks dh la[;k
¼v½ jktLFkku jkMos t cl		
1	केसरीसिंहपुर से श्रीगंगानगर	10
2	केसरीसिंहपुर से बीकानेर	01
3	केसरीसिंहपुर से फिरोजपुर	01
4	केसरीसिंहपुर से दिल्ली	01
¼c½ futh cl lsok		
6	केसरीसिंहपुर से श्रीगंगानगर	30
7	केसरीसिंहपुर से श्रीकरणपुर	03
8	केसरीसिंहपुर से बीकानेर	01
	केसरीसिंहपुर से दिल्ली	01
¼l½ eky ifjogu lsok		
9	ट्रक	50
10	मैटाडोर	35
11	जीप व कार	70
12	ट्रेक्टर	25

स्त्रोत – नगर पालिका, केसरीसिंहपुर

2-6-7¼l½ jsy ,oa gokbZ lsok

केसरीसिंहपुर उत्तरी–पश्चिमी रेलवे का एक स्टेशन है, जो श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ से मीटर गेज से जुड़ा हुआ है। रेलवे लाइन मुख्य रूप से नगर को जिला श्रीगंगानगर के अतिरिक्त हनुमानगढ़, बीकानेर व राज्य के अन्य नगरों से जोड़ती हैं। वर्तमान में इस रेलवे लाइन को श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ तक ब्रॉडगेज में बदलने का कार्य प्रगति पर है। इससे नगर में विकास की संभावनाएं प्रबल होगी। यहाँ पर अभी हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर निकटतम हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा है, जो कि 459 किमी की दूरी पर स्थित है।

केसरीसिंहपुर एक छोटा नगर है। अतः हवाई पट्टी विकसित होने का वर्तमान में यहाँ कोई प्रस्ताव नहीं है।

3

fu;kstu dh ldYiuk

प्रत्येक नगर का अपना एक जीवन्त अस्तित्व होता है और इसका स्वरूप मात्र किसी घटना का परिणाम नहीं, बल्कि विकास के पीछे एक पूरा इतिहास पाया जाता है। इस प्रकार एक नगर के भौतिक स्वरूप और इसकी संरचना में उसके विकास के विभिन्न काल एवं अवस्थाओं के दौरान इसके निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास की छाप आवश्यक रूप से दिखाई देती है। समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के साथ–साथ नगरीय संरचना के प्रतिरूप में भी इतिहास काल के दौरान परिवर्तन होता रहता है।

व्यवसायिक, परिवहन और सामुदायिक सुविधाओं के विकास ने नगरों को अपनी पृष्ठभूमि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक प्रायोगिक विकास केन्द्रों का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। पुराने नगरों के बाहरी इलाकों में बजार, उद्यान, विद्यालय, कार्यालय इत्यादि स्थापित किये जा चुके हैं। परिणामस्वरूप तीव्रगति से विकास होने के कारण नगर में यदृच्छ विकास, संकुलित यातायात, असंगत उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अतः नगर नियोजन का उद्धेश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।

3-1 fu;kstu dh uhfr;k

भौतिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास किया जाता है। एक बार नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिए जाते हैं, तो दिन–प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढाँचे के संदर्भ में ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर को अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्धेश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम ओर आगे बढ़ाता है। इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जा सकता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकाकी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढ़ांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार एक मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसके

साथ एक भू–उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र भी होते हैं। भू–उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। वह वृहद् परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती है, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जनआकांक्षा हो सकती है। अतः कतिपय मान्यताएं निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप नियोजन की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। इन नीतियों और उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। उक्त बिन्दुओं को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। केसरीसिंहपुर नगरीय क्षेत्र में मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में इन क्रमों की पालना की गयी है।

3-2 fu;kstu d fl)kUr

केसरीसिंहपुर की बढ़ती जनसंख्या, नगर के विकास की दिशा में होने वाले औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकास दृष्टिगत रखते हुए भू–उपयेाग के अनुरूप भूमि का आकलन किया जाना चाहिए ताकि इस अनुरूप समन्वित नियोजित विकास हो सके। उपर्युक्त वर्णित नियोजन नीतियों की पालना हेतु नियेाजन के निम्नांकित सिद्धान्त निश्चित किये गये हैंः–

1. केसरीसिंहपुर नगर में खाली भूमि उपलब्ध है, जिन पर अतिक्रमण तथा यदृच्छ विकास की प्रबल सम्भावना है। अतः इन सभी क्षेत्रों का समुचित एकीकरण करने की दृष्टि से एक एकीकृत एवं समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. केसरीसिंहपुर के नगरीय क्षेत्रों के लिए विस्तृत परिरक्षण योजना तैयार की जानी चाहिए और नहर एवं जलाशय आदि के किनारे पर बाग एवं उद्यान विकसित किया जाना चाहिए।
3. भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नगर में संगठित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए तथा नगर के समीप प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।
4. पुराने नगर में व्यवसायिक गतिविधियों को बढावा नहीं दिया जाना चाहिए एवं स्थान तथा क्षेत्रीय माँग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थानों पर व्यवसायिक सुविधाओं की पदानुक्रमी पद्धति विकसित की जानी चाहिए।

5. संकरी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को निषेध करने और उसे अन्यत्र संचारित करने के लिए उपयुक्त स्थान संधारित कर अनाज, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और लोहा बजार आदि जो अधिक यातायात को प्रोत्साहन देते हैं, के थोक बजारों हेतु पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिए।
6. आवासीय घनत्व के अनुरूप सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सेवाओं का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिए।
7. नगर के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाए कि इससे विभिन्न प्रकार की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।
8. नगर की परिधि पर किसी प्रकार से यदृछ विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्थानीय सीमाओं के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी बनाई जाए। परिधि नियंत्रण पटटी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियन्त्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए।
9. केसरीसिंहपुर कृषि उपज की एक प्रमुख मण्डी है। राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट 1958 के अन्तर्गत इसे ''सी'' श्रेणी में रखा गया। 1920 के दशक में गंग कैनाल परियोजना से सिंचाई सुविधा के कारण कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ और आज राजस्थान में एक प्रमुख मण्डी है। वर्तमान मण्डी प्रांगण के विस्तार की गुंजाइश नहीं है।

4-
Hkkoh ;kstuk dk vkdkj

केसरीसिंहपुर के नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान हेतु अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 9 राजस्व ग्रामों/चकों को सम्मिलित किया गया है। जिनका कुल क्षेत्रफल 6612 एकड़ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 13155 है जो कि आधार वर्ष 2010 में बढ़कर 15206 एवं क्षितिज वर्ष 2031 में लगभग 21325 होने का अनुमान है। वर्ष 2010 में विकसित क्षेत्र 281 एकड़ है तथा जन घनत्व 54 व्यक्ति प्रति एकड़ रहा है। इस बढ़ी हुयी जनसंख्या एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विस्तृत योजना तैयार की गयी है।

4-1 tulkf[;dh

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार केसरीसिंहपुर की जनसंख्या 13155 थी। सबसे कम वृद्धि दर 1991–2001 के दशक में रही जो कि 11.95 प्रतिशत थी तथा वर्ष 1951–61 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि 59.22 प्रतिशत रही। इस वृद्धि का मुख्य कारण सिंचाई की सुविधा, नगरीय सुविधाओं का विकास एवं रोजगार के साधनों की उपलब्धता आदि रहे हैं। बाद के दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आयी है, जिसका मुख्य कारण लोगों का शिक्षित होना, परिवार नियोजन को अपनाना रहा है। चूंकि इस मास्टर प्लान का आधार वर्ष 2010 है। अतः वर्ष 2010 की जनसंख्या 15206 के आधार पर मास्टर प्लान की गणना की गई है। वृद्धि दर पिछले 9 वर्षों की अर्थात् 2001 से 2010 में 15.59 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

केसरीसिंहपुर मण्डी ''सी'' श्रेणी की होने के कारण राजस्थान की मण्डियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस मण्डी के कारण नगर के विकास को काफी गति मिली है। विकास की प्रकृति तथा भावी विकास की संभावनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक केसरीसिंहपुर की जनंसख्या लगभग 21,325 हो जाएगी। अनुमान लगाते समय केसरीसिंहपुर एक प्रशासनिक एवं व्यवसायिक केन्द्र होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के दोनों घटक

प्राकृतिक वृद्धि तथा प्रवासी जनसंख्या को भी दृष्टिगत रखा गया है। वर्ष 1981 से 2031 तक केसरीसिंहपुर की जनसंख्या वृद्धि, प्रवृति एवं अनुमानों को तालिका–12 में दर्शाया गया है।

rkfydk 12

tula[;k o`f)] izo`fÙk] dsljhflagiqj ¼1981&2031½

o"kZ	tula[;k	vUrj	izfr'kr
1981	9738	–	&
1991	11751	2013	20.67
2001	13155	1404	11.95
2010*	15206	2051	15.59
2011*	15453	247	1.62
2021*	18152	2699	17.47
2031*	21325	3170	17.47

*स्त्रोतः भारतीय जनगणना एवं *अनुमान*

4-2 O;olkf;d lajpuk

व्यवसायिक संरचना नगर के पिछले वर्षों में हुई जनसंख्या वृद्धि, वर्तमान, परिस्थितियों एवं भूतकालीन परिस्थितियों, भविष्य की आर्थिक सम्भावनाओं मुख्य नगर नियोजन कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये मानदण्डों के साथ अन्य नगरों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है तथा यह अनुमान लगाया गया है कि क्षितिज वर्ष 2031 तक कुल जनसंख्या के 35 प्रतिशत के लगभग कार्यशील जनसंख्या होने का अनुमान है। जबकि वर्ष 1991 में यह 29.19 प्रतिशत तथा वर्ष 2001 में 30.00 प्रतिशत रही है। अर्थात् वर्ष 2001 में 3947 कामगारों की तुलना में वर्ष 2031 में 7463 कामगारों की संख्या होने की संभावना है।

यह अनुमान है कि केसरीसिंहपुर व्यापार एवं वाणिज्य, अन्य सेवाओं तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास करता रहेगा। इस प्रकार नगरीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण खेतीहर मजदूरों के प्रतिशत में कमी आएगी तथा शेष क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि होगी। क्षितिज वर्ष में व्यवसायिक संरचना और प्रत्येक वर्ग में श्रमिकों का विवरण तालिका–13 में दर्शाया गया है:–

rkfydk&13

0;olkf;d lajpuk] dslj hflagiqj] 2031

Ø- l-	0;olk;	2001		2010 ¼vuqekfur½*		2031¼vuqekfur½*	
		0;fDr	dkexkjks dk ifr'kr	0;fDr	dkexkjks dk ifr'kr	0;fDr	dkexkjks dk ifr'kr
1	काष्तकार, कृषि मजदूर, वानिकी इत्यादि	533	13.50	213	4.38	115	1.54
2	उद्योग	631	15.99	802	16.48	1242	16.64
3	निर्माण	92	2.33	119	2.45	198	2.65
4	व्यापार एवं वाणिज्य	1275	32.30	1575	32.37	2419	32.42
5	परिवहन एवं संचार	257	6.52	417	8.56	648	8.68
6	अन्य सेवायें	1159	29.36	1740	35.76	2841	38.07
	dqy	**3947**	**100-00**	**4866**	**100-00**	**7463**	**100-00**
	dkexkjks dk ifr'kr	**30-00**		**32-00**		**35-00**	

*स्त्रोत : भारतीय जनगणना एवं *अनुमान*

यह अनुमान लगाया गया है कि विकास के साथ–साथ कामगारों का झुकाव कृषि एवं उस पर आधारित व्यवसाय से व्यापार एवं वाणिज्य क्रियाकलापों में बढ़ेगा तथा अन्य सेवाओं जैसे कि परिसंचरण, उद्योग, निर्माण तथा सरकारी एवं अन्य कार्यों में भी कामगारों की वृद्धि होगी।

4-3 uxjh; {ks=

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प 10 (119) न विवि/3/10 जयपुर दिनांक 16.07.2010 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत केसरीसिंहपुर के नगरीय क्षेत्र में केसरीसिंहपुर सहित 9 राजस्व ग्रामों/चकों को अधिसूचित कर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इनका कुल अधिसूचित क्षेत्र 6,612 एकड़ है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर अनियोजित विकास

को नियंत्रित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण क्षेत्र निर्धारित किया गया है। अधिसूचित ग्रामों की सूची परिशिष्ट–3 में दी गई है।

4-4 uxjh;dj.k ;kX; {k=

केसरीसिंहपुर की जनसंख्या वर्ष 2001 में 13,155 से बढ़कर मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में 21325 होने का अनुमान है। चूंकि आधार वर्ष 2010 है। अतः इस वर्ष की अनुमानित जनसंख्या 15206 है। इस प्रकार योजना अवधि (2010–2031) में लगभग 6,119 व्यक्तियों की वृद्धि होने का अनुमान है, विकास के मानदण्डों को ध्यान मे रखते हुए बढ़ी हुयी जनसंख्या के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु 682 एकड़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगर का प्रस्तावित घनत्व लगभग 35 व्यक्ति प्रति एकड़ होने का अनुमान है। भूमि की उपलब्धता तथा वर्तमान विकास से प्रतीत होता है कि नगरीय विकास राज्य राजमार्ग–7 बी के दक्षिण–पश्चिमी भाग में होगा। नगर के उत्तरी भाग में रेलवे लाईन के कारण विकास की संभावनाएं कम आंकी गई हैं।

4-5 ;kstuk ifj{k=

विद्यमान विशेषताओं एवं आर्थिक क्रियाकलापों के लिए भू–उपयोग सहित प्राकृतिक अवशेष तथा विभिन्न गतिविधियों के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए केसरीसिंहपुर को चार योजना परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। परिधि नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर शेष प्रत्येक योजना परिक्षेत्र, आवासीय, व्यवसायिक, आमोद–प्रमोद, शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर होंगे। प्रत्येक योजना क्षेत्र हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को तालिका–14 में दर्शाया गया हैः–

rkfydk&14

;kstuk ifj{k=] dsl jhflagiqj&2031

Øe la[;k	;kstuk	{k=Qy ¼,dM½
अ	उत्तरी योजना परिक्षेत्र	115
ब	पूर्वी योजना परिक्षेत्र	295
स	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	272
	dqy uxjh;dj.k ;kX; {k=	**682**
द	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	5930
dqy iLrkfor uxjh; {k=		**6612**

स्त्रोत – सर्वेक्षण एवं आकलन

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र के मानचित्र में राजस्व ग्राम का नाम, विद्यमान नगरीय क्षेत्र, वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाओं के साथ दर्शाया गया है।

4-5 ¼v½ mÙkjh ;kstuk ifj{k=

इस योजना क्षेत्र को नगर के उत्तरी भाग में दर्शाया गया है। इस योजना परिक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 115 एकड़ है। इस योजना परिक्षेत्र में कब्रिस्तान, पुलिस थाना, सिंचाई विभाग का विश्रामगृह, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. कार्यालय, केन्द्रीय भण्डारण निगम व एक मन्दिर के अतिरिक्त कुछ आवासीय गतिविधियाँ संचालित हैं। इस क्षेत्र में रेलवे लाईन विद्यमान होने के कारण विकास की संभावनाएं कम आंकी गयी हैं। यहाँ पर औद्योगिक, भण्डार एवं गोदाम एवं जनउपयोगी सुविधाओं हेतु स्थल प्रस्तावित किए गए हैं।

4-5 ¼c½ iwohZ ;kstuk ifj{k=

यह योजना परिक्षेत्र नगर से श्रीकरणपुर–मल्काना को जाने वाली सड़क के पूर्व की तरफ स्थित है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर में रेलवे लाईन, दक्षिण में प्रस्तावित बस स्टैण्ड, ट्रक टर्मिनल, पश्चिम में श्रीकरणपुर–मल्काना सड़क सीमा व पूर्व में राज्य मार्ग का रेलवे फाटक तक के मार्ग के मध्य का क्षेत्र दर्शाया गया है । इस योजना परिक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 295 एकड़ हैं। इस योजना परिक्षेत्र में महावीर कॉटन मिल्स, कमल ऑयल मिल्स, गर्ल्स कॉलेज, गौशाला, सिनेमा हाल, महाराजा गंगासिंह कॉलेज, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय एवं जलदाय योजना स्थित हैं। क्षितिज वर्ष 2031 की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इस परिक्षेत्र में सामुदायिक, जनोपयोगी व शैक्षणिक, वाणिज्यिक, राजकीय, चिकित्सा, बस स्टैण्ड, ट्रक टर्मिनल, टैक्सी स्टैण्ड, कृषि मण्डी, थोक व्यापार व स्टेडियम, पार्क हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

4-5 ¼l½ nf{k.kh ;kstuk ifj{k=

यह योजना परिक्षेत्र श्रीकरणपुर से मल्काना जाने वाली सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर में रेलवे लाईन, दक्षिण में प्रस्तावित शैक्षणिक क्षेत्र, पश्चिम में नगर पालिका सीमा व पूर्व में श्रीकरणपुर से मल्काना जाने वाली सड़क के मध्य का क्षेत्र है। इस योजना परिक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 272 एकड़ है। इस योजना परिक्षेत्र में राजकीय चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, बस स्टैण्ड, गुरूनानक कन्या महाविद्यालय, राजकीय उच्च

माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय, स्टेडियम नगर स्तरीय सुभाष पार्क, राज्य भण्डारण निगम, धान मण्डी, कृषि उपज मण्डी कार्यालय, नवनिर्मित नगर पालिका कार्यालय, सहकारी समिति कार्यालय, दूर संचार, कार्यालय एवं गंदे पानी का तालाब इत्यादि स्थित हैं। इस परिक्षेत्र में भण्डारण एवं गोदाम, पोस्ट आफिस, पुलिस थाना, व्यवसायिक, राजकीय, चिकित्सा, खेलकूद गतिविधियों, व्यवसायिक संस्थान व अन्य शैक्षणिक प्रयोजनार्थ व नगर के आवासीय विस्तार हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

4-5 ¼n½ ifjf/k fu;=.k iV~Vh ifj{k=

उपर्युक्त योजना क्षेत्रों के अतिरिक्त मास्टर प्लान का वह भाग, जो नगरीकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है। इस नियोजन क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यह क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति का होगा और यहाँ पर भूमि का उपयोग कृषि, जंगलात, बागवानी, उद्यान, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल, एमयूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क एवं इनसे संबंधित उपयोगों हेतु ही उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के प्रस्ताव से नगर के बाहरी क्षेत्रों में होने वाले अव्यवस्थित नगरीय विकास पर अंकुश लगेगा। परिधि नियंत्रण क्षेत्र में वृहद् परियोजनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर की अनुमति के पश्चात् नगर के चहुंमूंखी विकास एवं उपलब्ध होने वाले रोजगार के मद्देनजर स्वीकृत/स्थापित की जाती है, के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित नगरी विकास की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों की ही प्रधानता होगी। इस परियोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5930 एकड़ है।

5
Hk&mi;kx ;kstuk

भू–उपयोग योजना नगर नियोजन की विभिन्न नीतियों और सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर नगर के विस्तार हेतु तैयार की गयी भावी योजना है। इसकी रचना नगर की विद्यमान विशेषताओं एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गयी है। नगरीय भूमि दुर्लभ संसाधन है। अतः इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधि–सम्मत आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर परिकल्पना की गयी है तथा नगर नियोजन मानदण्डों के अनुरूप विभिन्न नगरीय कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए भू–उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय कार्यों की स्थल स्थिति की पहचान दर्शायी गयी है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू–उपयोग योजना हेतु मदवार भू–उपयोग के लिए उपर्युक्त घनत्व के मानदण्डों के अनुसार वर्ष 2001 में भू–उपयोग में कमी/अधिकता तथा क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल एकड़ में आकलित किया गया है। इस प्रकार क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए प्रस्तावित भू–उपयोग हेतु कुल 754 एकड़ भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित की गयी है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र में 53.94 प्रतिशत आवासीय, 10.21 प्रतिशत वाणिज्यिक, 4.24 प्रतिशत औद्योगिक, 2.25 प्रतिशत राजकीय (सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय), 10.21 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक, 5.05 प्रतिशत आमोद–प्रमोद तथा 14.06 प्रतिशत भूमि परिसंचरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भू–उपयोग विवरण तालिक–15 में दर्शाया गया हैः–

rkfydk 15

iLrkfor Hk&mi;kx] dslj hflgi j&2031

Ø- l-	Hk&mi;kx	{¨=QYk ¼,dM½	fodkl ;kX; {¨= dk çfRk'kRk	Ukxjh;dj.k ;kX; {k= dk ifr'kr
1	आवासीय	407	53.98	52.65
2	वाणिज्यिक	77	10.21	9.96
3	औद्योगिक	32	4.24	4.14
4	राजकीय	17	2.25	2.20
5	आमोद–प्रमोद	38	5.05	4.92
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	77	10.21	9.96
7	परिसंचरण	106	14.06	13.71
	fodkl ;kX; {k=	**754**	**100-00**	**97-54**
8	कृषि	12		1.55
9	जलाशय	7		0.91
	Ukxjh;dj.k ;kX; {k=	**773**		**100-00**

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5-1 vkokl h;

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस प्रकार से तैयार की गयी है कि ताकि यहाँ स्वस्थ पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य केन्द्रों और आमोद–प्रमोद के स्थलों तक जाने के लिए समय और दूरी में कमी बनी रहे। निकटवर्ती प्रतिरूप के अनुसार युक्तिसंगत आवासीय विकास नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। लोगों को आवासीय क्षेत्रों के निकट दिन–प्रतिदिन की लोकोपयोगी सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस दृष्टि से लगभग 21325 व्यक्तियों को बसाने के लिए 407 एकड़ आवासीय भूमि प्रस्तावित की गयी है।

मास्टर प्लान में तीन प्रकार के आवासीय घनत्व रखे गये हैं। नगर के पुराने भाग में आवासीय घनत्व 101–150 व्यक्ति प्रति एकड़ से अधिक होगा, जबकि कार्यस्थलों और वर्तमान अर्द्ध विकसित क्षेत्र के पास वाले क्षेत्रों में जन घनत्व 51–100 व्यक्ति प्रति एकड़ प्रस्तावित है। इसके साथ–साथ योजना के

नियोजन मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए नये आवासीय क्षेत्रों का 50 व्यक्ति प्रति एकड़ से कम की सघनता के साथ विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। केसरीसिंहपुर में जो कच्ची बस्तियाँ बसी हुई हैं, ऐसे क्षेत्रों में सभी मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था के साथ पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुधार को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। वर्ष 2010 में केसरीसिंहपुर में विकसित क्षेत्र का 48.04 प्रतिशत अर्थात् 135 एकड़ क्षेत्र आवासीय उपयोग के अन्तर्गत था। इस तरह आवासीय घनत्व 113 व्यक्ति प्रति एकड़ आकलित होता है, जिसे क्षितिज वर्ष 2031 तक 63 व्यक्ति प्रति एकड़ किया जाना प्रस्तावित है। फलस्वरूप वर्ष 2010 की जनसंख्या के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ 105 एकड़ क्षेत्र की कमी का आकलन किया गया है। वर्ष 2010–2031 के दौरान अतिरिक्त जनसंख्या के लिए 97 एकड़ क्षेत्र की आवश्यकता का आकलन किया गया है। इस तरह क्षितिज वर्ष 2031 के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ कुल 407 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5-1-1 vkokl u

आवास, मानव समुदाय की एक मूल आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत सर्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। अतः आवश्यक है कि नगर पालिका, आवास परियोजना तैयार करें और समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराये। वर्तमान में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकाय को भूखण्ड विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि नियोजित ढ़ंग से लोगों की आवासीय माँग को पूरा किया जा सके।

5-1-2 vukSipkfjd lsDVj gsrq ;kstuk

वर्तमान में पुराने विकसित क्षेत्रों में अनौपचारिक वर्ग हेतु कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन नगर में अव्यवस्थित रूप से कुछ छोटे–छोटे व्यवसाय चल रहे हैं। अतः इनको व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप भविष्य में विकसित की जाने वाली कार्य योजनाओं में अनौपचारिक वर्ग हेतु उचित स्थल आरक्षित किये जावेंगे।

5-1-3 dPph cfLr;k

नगर पालिका को चाहिए कि भविष्य में कच्ची बस्तियों व अनियोजित आवासीय क्षेत्रों के विस्तार को हतोत्साहित करने के प्रयोजन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध

करवाए तथा विद्यमान कच्ची बस्तियों के क्षेत्रों का नियोजित विकास एवं सुधार समयबद्ध कार्यक्रम में किया जावे। इस सम्बन्ध में पुनर्विभाजन का कार्य उन क्षेत्रों में किया जायेगा, जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ स्थापित हो चुकी हैं और जिन्हें हटाया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जाये कि विस्थापन कम से कम हो। कच्ची बस्ती क्षेत्र में सुधार और उनके पुनर्विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसी योजना में पर्यावरण सुधार एवं मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे प्रकाश, जलापूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, सडकों आदि की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिएं।

5-2 okf.kfT;d

केसरीसिंहपुर वाणिज्यिक, व्यापार एवं वितरण का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक नगर के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक संस्थानों में कुल कार्यशील व्यक्तियों का 35 प्रतिशत के आधार पर 2419 व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों एवं अन्य वाणिज्यिक कार्यकलापों में कार्यरत रहेंगे। मास्टर प्लान में कुल 77 एकड़ क्षेत्रफल जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 10.21 प्रतिशत है, व्यवसायिक क्रियाकलापों हेतु प्रस्तावित किया गया है।

केसरीसिंहपुर में भौतिक विकास के साथ–साथ वाणिज्यिक गतिविधियों का भी विकास हुआ है। पिछले दो दशकों में नगर के प्रमुख मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यातायात व पार्किंग की समस्या बढ़ रही है। नगर में वाणिज्यिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से आंतरिक भाग एवं राज्य राजमार्ग–7 बी के दोनों ओर केन्द्रित हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों को अधिक तार्किक व सुसगंत बनाने तथा दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अनावश्यक आवागमन से बचने के लिए मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों की पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ताकि क्षेत्र में वाणिज्यिक सुविधाएं सहज उपलब्ध हो सके। वर्ष 2001 में वाणिज्यिक गतिविधियों में 1275 व्यक्ति कार्यरत थे, जो क्षितिज वर्ष 2031 में 2419 व्यक्ति होने का आकलन किया गया है। आधार वर्ष 2010 में विकसित क्षेत्र का 8.54 प्रतिशत भाग अर्थात् 24 एकड़ क्षेत्र वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग के अन्तर्गत था, जो क्षितिज वर्ष 2031 में 10. 21 प्रतिशत अर्थात 77 एकड़ प्रस्तावित किया गया है। विद्यमान वाणिज्यिक

गतिविधियों का संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान में प्रस्तावित वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण तालिका–16 में दर्शाया गया हैः–

rkfydk 16

iLrkfor ie[k okf.kfT;d {k=k dk fooj.k] dlljhflgij&2031

Ø-l-	fooj.k	{k=Qy ¼,dM e½
1	केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र	4.00
2	थोक व्यापार एवं विशेष बाजार	46.00
3	भण्डारण एवं गोदाम	23.00
4	वाणिज्यिक केन्द्र	4.00
;kx		**77-00**

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5-2¼1½ dUnh; 0;kikfjd dUn

नगर का तहबजारी मुख्य बाजार क्षेत्र ही केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र है। वर्तमान में केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र नगर का आंतरिक भाग एवं उसके आसपास का क्षेत्र है एवं इसके विस्तार के लिए भीतरी भागों में अधिक सम्भावना नहीं है क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में सड़कों की चौड़ाई पर्याप्त नहीं होने के कारण यातायात, पार्किंग एवं समान लाने व ले जाने की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। मास्टर प्लान के पूर्वी योजना परिक्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजनार्थ प्रस्तावित कुल 8 एकड़ भूमि में से 4 एकड़ भूमि केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र हेतु प्रस्तावित की गई है।

5-2¼2½ Fkkd 0;kikj ,o fo'k"k ctkj

केसरीसिंहपुर में थोक व्यापार केन्द्र नगर के उत्तरी–पश्चिमी भाग में स्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 5 एकड़ भूमि है जो कि घने क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। अतः भविष्य की आवश्यकता के मद्देनज़र राज्य राजमार्ग–7 बी पर पूर्वी योजना परिक्षेत्र में थोक व्यापार एवं विशेष बजार हेतु 37 एकड़ भूमि और प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार इस क्षेत्र में कुल 46 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है।

5-2¼3½ Hk.Mkj.k ,o xknke

वर्तमान में नगर के उत्तरी एवं पश्चिमी परिक्षेत्र में क्रमशः राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदाम, लगभग 9 एकड़ क्षेत्रफल

में स्थित हैं। केसरीसिंहपुर नगर में भविष्य में सम्भावित औद्योगिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने पर नगर में भण्डारगृहों एवं गोदामों की आवश्यकता होगी। अतः वर्ष 2031 तक भण्डारण एवं गोदाम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्तरी एवं पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में 13 एकड़ भूमि वर्तमान में संचालित गोदामों के समीप अतिरिक्त भण्डारण व्यवस्था हेतु प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार इस क्षेत्र में कुल 23 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है।

5-2¼4½ okf.kfT;d dUnz

पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में यातायात संबंधी अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। यह व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र नगर के केन्द्र में घने बसे भागों में स्थित हैं, जहाँ पर न तो पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है एवं न ही समान को लादने एवं उतारने की सुविधा उपलब्ध है। अतः केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र से यातायात के दबाव को कम करने के लिए व्यापार को उचित स्थानों पर वितरित किये जाने के लिए केसरीसिंहपुर मास्टर प्लान में पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में सामुदायिक केन्द्र प्रस्तावित किया गया है तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि नगर के चारों तरफ व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध हो सकें। सामुदायिक केन्द्र में खुदरा वाणिज्यिक दुकानें, सिनेमा, होटल, पेट्रोल पम्प आदि सुविधाए उपलब्ध होंगी। इस हेतु मास्टर प्लान में प्रस्तावित 8 एकड़ भूमि में से 4 एकड़ भूमि वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रस्तावित की गयी है।

मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र के अतिरिक्त मास्टर प्लान में बहुत सी स्थानीय एवं सुविधाजनक दुकानों का भी प्रावधान रखा गया है। इनकी स्थिति विस्तृत योजना बनाते समय प्रस्तावित की जायेगी। ये केन्द्र योजना क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से 15 से 20 मिनट के समय की दूरी पर स्थित होंगे। वाणिज्यिक केन्द्र योजना क्षेत्र में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीददारी करने के लिये स्थानीय दुकानें भी सम्मिलित रहेंगी।

5-3 vkS|ksfxd%&

गंग कैनाल के आने के बाद केसरीसिंहपुर में औद्योगिक विकास काफी हुआ है तथा भविष्य में औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा। नहर का मीठा पानी उद्योगों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि केसरीसिंहपुर में वर्ष 2001 में औद्योगिक रोजगारों में 631 व्यक्तियों

की तुलना में 2031 में 1242 लोग हो जाऐंगे। अतः स्पष्ट है कि केसरीसिंहपुर में औद्योगिक कामगारों की संख्या काफी बढेगी। केसरीसिंहपुर में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों का विस्तार होगा। विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण तालिका–17 में दर्शाया गया है।

rkfydk&17

vk|kfxd xfrfof/k;ksa dk Hkw&mi;ksx dk fooj.k] dsljhflagiqj&2031

Ø-l-	vk|kfxd {ks=	l[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM+ e½
1	2	3	4	5
fo|eku				
1	महावीर कॉटन मिल्स	1	सिनेमा के पास राज्य राजमार्ग पर	5
2	मलकाना कॉटन मिल्स	1	स्टेडियम के सामने	5
3	कमल आयल मिल्स	1	सिनेमा के पास राज्य राजमार्ग पर	1.0
4	अन्य औद्योगिक क्षेत्र		नगर में विभिन्न स्थानों पर	2.0
	कुल			**13**
iLrkfor				
5	उत्तरी औद्योगिक क्षेत्र	1	रेलवे लाईन की उत्तरी दिशा में	19
	;ksx			
	dqy ;ksx ¼fo|eku $ iLrkfor½ ¼13 $ 19½¾			**30**

स्त्रोत – सर्वेक्षण एवं आकलन

नगर की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना के उत्तरी परिक्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। घरेलू एवं सर्विस उद्योगों को आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्रों में ही रहने दिया जाएगा। एक अकेला उद्योग किसी भी तरह योजनाबद्ध औद्योगिक विकास का लाभ नहीं ले सकता है। अतः संतुलित औद्योगिक विकास के लिए सभी उद्योगों को एक ही केन्द्र पर स्थापित कर उनको योजनाबद्ध ढंग से विकसित किया जाना जरूरी होता है। अतः इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उपर्युक्त तालिका में वर्णित वर्तमान औद्योगिक इकाईयों के कुल 13 एकड़ क्षेत्र के अतिरिक्त उत्तरी योजना परिक्षेत्र में लगभग 17 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र औद्योगिक विकास हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार मास्टर प्लान में औद्योगिक प्रयोजनार्थ कुल 30 एकड़ क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है।

5-4 jktdh;

5-4¼1½ ljdkjh ,oa v)Z&ljdkjh dk;kZy;

वर्तमान में सरकारी कार्यालयों हेतु केसरीसिंहपुर में कोई व्यवस्थित परिसर स्थापित नहीं हैं। विभिन्न सरकारी कार्यालय अलग–अलग स्थलों पर स्थापित

हो गये हैं । वर्तमान में केसरीसिंहपुर में 11 कार्यालय कार्यरत हैं, जिनमें केन्द्र सरकार के 3, राज्य सरकार के 4, एवं अर्द्ध–सरकारी 4 कार्यालय स्थित हैं। इनमें लगभग 92 कर्मचारी कार्य करते हैं। अधिकतम कार्यालय नगर के मध्य में स्थित हैं। केन्द्र सरकार के 3 सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय में रेलवे, केन्द्रीय भण्डार निगम एवं दूर संचार निगम हैं। राज्य सरकार के 4 सरकारी कार्यालयों में उप तहसील, कृषि विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सीआईडी विभाग के कार्यालय एवं 4 अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों में स्वायत्त शासन विकास विभाग के अधीन, वार्ड नं. 15 में नगर पालिका कार्यालय वार्ड नं. 4 में कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय, वार्ड नं. 14 में क्रय–विक्रय सहकारी समिति कार्यालय व नगर पालिका की सीमा के बाहर जोधपुर विद्युत वितरण निगम का कार्यालय स्थित है। राजकीय क्षेत्र में लगभग 92 व्यक्ति कार्यरत हैं। वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकार के सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों के अधीन 5 एकड़ भूमि है। केन्द्र व राज्य सरकार के सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों को स्थापित करने हेतु मास्टर प्लान के पूर्वी व पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में 12 एकड़ भूमि और प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों के लिए कुल 17 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है। विद्यमान सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण तालिका–18 में दर्शाया गया है।

rkfydk&18

jktdh; i;kstukFk Hkw&mi;ksx dk foojk] dsljhflag iqj&2031

Ø- l-	ljdkjh ,oa v)Z ljdkjh dk;kZy;	l[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM+ esa½
1	2	3	4	5
fo|eku				
1	सरकारी व अर्द्ध–सरकारी कार्यालय	12	वार्ड नं. 2, 4, 7, 9, 12 व 15	5
iLrkfor				
2	पूर्वी व पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	2	पुलिस थाना एवं श्रीकरणपुर–मल्काना सड़क पर	12
	dqy ;ksx ¼fo|eku $ iLrkfor½ 5 $ 12			**17**

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5-5 vkekn&iiekn

5-5¼1½ m|ku ,o [ky LFky

उद्यान एवं खुले स्थल सामान्यतः नगर के फेफड़े होते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से नगर वासियों को सामाजिक एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध होता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण पुराने पार्क एवं खुले स्थल नगरीयकरण का भारी दबाव झेल रहे हैं तथा वर्तमान में इनकी उपलब्धता नगण्य है। वर्तमान में केवल 4 एकड़ भूमि इस प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही है। इसकी पूर्ति के लिए पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी योजना परिक्षेत्रों में लगभग 24 एकड़ भूमि का मास्टर प्लान में यथोचित स्थलों पर प्रावधान रखा गया है।

5-5¼2½ LVfM;e

केसरीसिंहपुर में वर्तमान में वार्ड नम्बर 01 में लगभग 3 एकड़ क्षेत्रफल में स्टेडियम है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम हैं। इसीलिए नगर की आवश्यकता के मद्देनजर मास्टर प्लान के पूर्वी क्षेत्र में राज्य राजमार्ग पर 7 एकड क्षेत्रफल में एक बड़ा स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है। यह स्टेडियम कॉलेज एवं विद्यालयों के पास में ही प्रस्तावित किया गया है। ताकि छात्र–छात्राओं के खेलकूद आदि के लिए भी सुविधाजनक हो सके। विद्यमान आमोद–प्रमोद की सुविधाओं के संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान के प्रस्तावों का विवरण तालिका–19 में दर्शाया गया हैः–

rkfydk&19

vkekn&iiekn] dsl jhfl gi j&2031

Ø-l-	vkekn&iiekn	l[;k	fLFkfr	{k=Qy ¼,dM e½
1	**2**	**3**	**4**	**5**
fo|eku				
1	उद्यान, पार्क व बगीचे	5	अनेक	4
2	स्टेडियम	1	वार्ड नं. 1	3
	;kx			**7**
iLrkfor				
1	स्टेडियम	1	पूर्वी योजना परिक्षेत्र	7
2	पार्क खेल का मैदान अन्य	12	विभिन्न स्थलों पर विभिन्न स्थलों पर विभिन्न स्थलों पर	24
	;kx	**13**		**31**
	dy ;kx ¼fo|eku $ iLrkfor½ 7 $ 31			**38**

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5-6 lkoZtfud ,oa v)Z&lkoZtfud mi;ksx

सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल, जनोपयोगी सुविधाएं तथा श्मशान व कब्रिस्तान आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं। केसरीसिंहपुर की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। परन्तु सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार व विकास नहीं होने से वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं। इन समस्त सुविधाओं को नगर के निवासियों को उपलब्ध करवाना मास्टर प्लान का मुख्य उद्‌देश्य है। अतः आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य में विकास की सम्भावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान में लगभग 77 एकड भूमि प्रस्तावित की गयी है। विभिन्न सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत विद्यमान व प्रस्तावित क्षेत्रफल एवं क्षितिज वर्ष तक कुल क्षेत्र का विवरण तालिका–20 में दर्शाया गया है।

rkfydk&20

lkoZtfud ,oa v)Z&lkoZtfud lqfo/kkvksa dh Hkw&mi;ksx dk fooj.k] dsljhflagiqj&2031

Ø-la-	lkoZtfud ,oa v)Z&lkoZtfud lqfo/kk,a	fo|eku {ks=Qy ¼,dM+ esa½	izLrkfor {ks=Qy ¼,dM+ esa½	dqy {ks=Qy ¼,dM+ esa½
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	शैक्षणिक	13	32	45
2	चिकित्सा	1	7	8
3	ओसीएफ	7	3	10
4	धार्मिक / ऐतिहासिक / सामाजिक / सांस्कृतिक	5	0	5
5	जनोपयोगी	1	8	9
;ksx		**27**	**50**	**77**

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5-6¼1½ 'kS{kf.kd%&

केसरीसिंहपुर नगर स्कूल शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केन्द्र है। आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहाँ पर सरकार की नीतियों एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर

वर्ष 2031 तक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 45 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस नीति के आधार पर नगर की अनुमानित जनसंख्या के लिए विभिन्न स्तर के विद्यालयों एवं व्यवसायिक संस्थान का प्रावधान रखा गया है।

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छोटे एवं दोहरी पारी वाले विद्यालयों की सुविधाएं आवासीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध करायी जावेंगी। अतः इनकी स्थिति एवं विद्यालयों का स्थान मास्टर प्लान भू–उपयोग में नहीं दर्शाया गया है। जब आवासीय क्षेत्रों के लिए विस्तृत येाजना तैयार की जाएगी तब समस्त शैक्षणिक स्तर की सुविधाओं का चयन किया जायेगा।

नगर के समस्त क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध हो । अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान के पूर्वी व पश्चिमी परिक्षेत्र में राज्य राजमार्ग के समीप शैक्षणिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये है। जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं यथा स्कूल, कॉलेज, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि विकसित किये जा सकते हैं। केसरीसिंहपुर की शैक्षणिक संस्थाओं को निम्न तालिका–21 में दर्शाया गया है:–

rkfydk 21

'k{kf.kd l|jpuk] d|ljhfl|gi|j&2031

Ø-l-	fo|ky;@egkfo|ky;	fo|ky;k dh l[;k
fo|eku		
1	महाविद्यालय	2
2	उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय (9–12)	6
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6–8)	4
4	प्राथमिक विद्यालय (1–5)	9
	;kx	**21**
iLrkfor		
5	व्यवसायिक संस्थान	1
6	उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय (9–12)	3
7	प्राथमिक विद्यालय (1–5)	4
	;kx	**8**
	dy ;kx ¼fo|eku$iLrkfor½ ¼21$8½	**29**

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5-6¼2½ fpfdRlk

केसरीसिंहपुर मे वार्ड नं. 14 में एक राजकीय व निजी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत् है। यहाँ पर लगभग 32 शैयाओं की सुविधा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वार्ड नं. 14 व वार्ड नं. 15 में हौम्योपैथिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह सुविधा नगर की भावी जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होगी। वर्तमान में सामुदायिक चिकित्सालय के पास विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नही है। अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान के पूर्वी योजना परिक्षेत्र में एक चिकित्सालय व एक पशु चिकित्सालय प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा सभी सैक्टरों की जब विस्तृत योजना तैयार की जायेगी उस समय आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेंसरी हेतु स्थल आरक्षित किये जा सकेंगे। मास्टर प्लान में केसरीसिंहपुर में चिकित्सा सुविधाओं हेतु कुल 8 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। केसरीसिंहपुर में विद्यमान एवं प्रस्तावित चिकित्सा सुविधाओं को तालिका–22 में दर्शाया गया है।

rkfydk&22

fpfdRlk lqfo/kkvksa dk Hkw&mi;ksx dk fooj.k] dslfjhflagiqj&2031

Ø-l-	fpfdRlk lqfo/kk dk Lrj	la[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM+ esa½
1	2	3	4	5
fo|eku				
1.	राजकीय सामुदायिक केन्द्र निजी चिकित्सा केन्द्र पशु अस्पताल होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा	1 1 1 1	वार्ड नं. 14 व 15	1.00
;ksx				**1-00**
izLrkfor				
1.	राजकीय चिकित्सालय	1	पूर्वी योजना परिक्षेत्र में राज्य राजमार्ग पर	2.75
2.	पशु चिकित्सालय	1	पूर्वी योजना परिक्षेत्र में राज्य राजमार्ग पर	1.90
3.	डिस्पेन्सरी	2	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	2.35
;ksx				**7-00**
dqy ;ksx ¼fo|eku$fo'ks"krk,a½ ¼1$7½¾				**8-00**

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5-6¼3½ vU; lkeqnkf;d lqfo/kk,¡

मास्टर प्लान में विभिन्न सामुदायिक सुविधाएं जैसे डाकघर, पुलिस थाना, अग्निशमन केन्द्र, युवा केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय एवं रंगमंच आदि सुविधाओं हेतु आवश्यकतानुसार प्रावधान रखा गया है। ऐसी सुविधाओं के लिए कई स्थल मास्टर प्लान में उचित स्थानों पर प्रस्तावित किये गये हैं। अन्य सामुदायिक सुविधाओं के प्रयोजनार्थ लगभग 10 एकड़ भूमि को प्रस्तावित किया गया है। ऐसी सुविधाएं जिससे एक बड़ा क्षेत्र लाभान्वित होता है। जैसे बरातघर, धर्मशाला एवं धार्मिक भवन आदि का प्रावधान भी अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए निर्धारित भूमि मे किया जा सकता है। विद्यमान एवं प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण तालिका–23 में दर्शाया गया है।

rkfydk&23

vU; lkeqnkf;d lqfo/kkvksa dk Hkw&mi;ksx dk fooj.k] dLck lqjhflagiqj&2031

Ø-l-	vU; lkeqnkf;d lqfo/kk,¡	la[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM+ e½
1	2	3	4	5
fo|eku				
1.	विश्राम गृह, धर्मशाला, पुलिस थाना आदि	अनेक	वार्ड संख्या 1, 10, 12 एवं 15	8
;ksx				8
iLrkfor				
1.	अन्य सामुदायिक सुविधाऐं	3	पूर्वी एवं पश्चिमी योजना क्षेत्र	2
;ksx				2
dqy ;ksx ¼fo|eku $ iLrkfor½ ¼8$2½				10

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5-6¼4½ tuksi;ksxh lqfo/kk,¡

सार्वजनिक उपयोगिता मे पेयजल वितरण, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, जल मल निकास इत्यादि सम्मिलित हैं। नगर मे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन सेवाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने की दिशा मे आवश्यक प्रयास किये

जावें। केसरीसिंहपुर मे वर्तमान में जनोपयोगी सुविधाएं तथा जलापूर्ति, मल–जल निकास आदि के लिये 1 एकड़ क्षेत्र है। नगर की भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर कुल 9 एकड़ भूमि का जनोपयोगी सुविधाओं हेतु प्रावधान रखा गया है। नगर की विद्यमान एवं प्रस्तावित जनोपयोगी सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण तालिका–24 मे दर्शाया गया है।

rkfydk&24

tuki;kxh lqfo/kkvksa dk Hkw&mi;ksx dk fooj.k] dslj hflagiqj&2031

Ø-l-	vU; lkeqnkf;d lqfo/kk,a	la[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM+ eas½
1	2	3	4	5
fo|eku				
1.	जलापूर्ति विद्युत आपूर्ति टेलीफोन एक्सचेंज	1 1 1	राज्य राजमार्ग, धानूर मार्ग व गुरूनानक कन्या महाविद्यालय के समीप	1
		;ksx		**1**
iLrkfor				
1.	उत्तरी व पूर्वी योजना परिक्षेत्र में	1 1	सिंचाई विभाग, विश्राम गृह के समीप एवं राज्य राजमार्ग पर	8
;ksx				**8**
dqy ;ksx ¼fo|eku $ iLrkfor½ ¼1$8½ ¾				**9**

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5-6¼4½¼v½ tykiwfrZ

केसरीसिंहपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्त्रोत 1 यू माईनर वितरिका है, जिससे नगर को प्रतिदिन लगभग 2.72 क्यूसैक पानी की आपूर्ति होती है। नगर में प्रतिदिन 1200 किलोलीटर पानी वितरित किया जाता है। यह लगभग 80 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जो कि प्रति व्यक्ति प्रति लीटर पानी की आपूर्ति हेतु निर्धारित मानदण्डों की तुलना में बहुत कम है, इसे बढ़ा कर लगभग 100–125 लीटर प्रति व्यक्ति करने का जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का प्रस्ताव है। वर्ष 2031 तक यहाँ की जनसंख्या लगभग 21325 होने का अनुमान है। जिससे नगर में प्रतिदिन 2125 किलोलीटर पानी वितरित किया जाना आवश्यक होगा। अतः विभाग को उचित मात्रा में पानी की आपूर्ति करनी होगी। भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए मास्टर प्लान में जन उपयोगी

सुविधाओं हेतु योजना के पूर्वी परिक्षेत्र में भूमि आरक्षित की गयी है, जिसके तहत इस क्षेत्र मे फिल्टर प्लाण्ट लगाया जाना प्रस्तावित है।

5-6¼4½¼c½ ey&t y fudk l ,o Bk l dpjk icU/ku

केसरीसिंहपुर में मल–जल निस्तारण की समुचित व्यवस्था का अभाव है। यहाँ पर अभी तक वर्षा के पानी की निकासी का भी उचित प्रावधान नहीं किया गया है। इस कारण वर्षा का पानी सड़कों पर फैल जाता है। यहाँ अभी तक सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। अधिकांश मकानों में सैप्टिक टैंक की व्यवस्था है, तथा शेष जनता प्राचीन पद्धति का ही उपयोग करती है। इस कारण आस–पास का वातावरण दूषित होने के साथ–साथ भूमिगत जल के प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है। वर्तमान में सम्पूर्ण नगर का जल निकास खुले नाली व नाले के प्राकृतिक गुरुत्व के माध्यम से नगर के उत्तरी दिशा से दक्षिण दिशा में स्थित तालाब में एकत्रित होता है।

स्वच्छ नगर के लिए सीवरेज प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य को गंदगी के कुप्रभावों से बचाया जा सके। इसके लिए प्रथम चरण में वर्तमान में नगर के मध्य में स्थित गंदे तालाब (छापड़) के पास सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट तकनीकी रूप से विकसित किया जाकर, नगर में जल पुनर्उत्थान प्रस्तावित है। नगर में कचरा प्रबंधन का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाता हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर–ट्रॉली की सहायता से दिन में एक बार कचरा एकत्र किया जाता है तथा उसे नगर से 1 किमी की दूरी पर ले जाकर खुले स्थान पर डाल दिया जाता है। जिससे वातावरण प्रदूषित होता है तथा भूमिगत जल के प्रदूषण का खतरा सदैव बना रहता है। नगर पालिका स्तर पर ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का चयन किये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

मल–जल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन की भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगर के परीधि नियंत्रण क्षेत्र में मृदा परीक्षण एवं नगर पालिका व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विचार विमर्ष उपरान्त भूमिगत जल प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस कचरा प्रबंधन वैज्ञानिक पद्धति एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये दिषा–निर्देषों के अनुसार ठोस कचरा संयत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार नगर के परीधि नियंत्रण क्षेत्र में जल अभियांत्रिकी विभाग से विचार–विमर्ष उपरान्त, क्षेत्र की सामान्य ढलान को ध्यान में रखते हुए सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट से ट्रीटमेण्ट उपरान्त प्राप्त जल को नगर में जल पुनर्संचरण पद्धति के

तहत् वृक्षारोपण, बाग–बगीचे के रख–रखाव हेतु उपयोग में लगाया जाना प्रस्तावित है।

5-6¼4½¼l½ fo|r vkifr

केसरीसिंहपुर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत आपूर्ति 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन द्वारा की जाती है। नगर में कुल 18500 यूनिट प्रतिदिन बिजली सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लाण्ट से प्राप्त होती है और प्रतिदिन 18500 यूनिट की खपत होती है। नगर मे होने वाले विकास एवं विभिन्न सेक्टरों मे बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों हेतु और अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। अतः सुझाव है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उचित विद्युत आपूर्ति हेतु एक प्लान तैयार करे ताकि सभी क्षेत्रों मे पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सके तथा यह भी सुझाव है कि दोनों स्त्रोतों का अच्छा सामंजस्य हो ताकि विद्युत आपूर्ति सुचारू रहे। अतः इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2031 तक 21325 अनुमानित जनसंख्या हेतु समुचित विद्युत व्यवस्था हेतु मास्टर प्लान में 33/11 के.वी. के दो नए ग्रिड सब–स्टेषन योजना के उत्तरी परिक्षेत्र में लगभग 5 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित किये गये हैं।

5-6¼4½¼n½ 'e'kku ,oa dfcLrku

वर्तमान में नगर के दक्षिण दिशा में स्थित श्मशान भूमि को यथावत् रखा गया है। श्मशान एवं इसके पास स्थित मंदिर की परन्तु जो श्मशान और कब्रिस्तान नगर के विकसित क्षेत्रों में स्थित हैं, उनमें चार दिवारी के साथ–साथ सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ताकि वातावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नये श्मशानों और कब्रिस्तानों को माँग के अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता के अनुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

5-7 ifjlapj.k

केसरीसिंहपुर की परिसंचरण व्यवस्था यहाँ के भावी भू–उपयेाग प्रस्तावों का अभिन्न अंग है। परिसंचरण हेतु विभिन्न प्रमुख मार्गो की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है, कि जनता के आवागमन के लिए उत्कृष्ट यातायात व्यवस्था संचालित की जा सके। नगर की विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार वहाँ पर आवागमन होने वाले यातायात के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं। केसरीसिंहपुर से राज्य राजमार्ग–7 बी गुजरता है। नगर का विस्तार उत्तर दिशा में रेलवे लाईन होने के कारण मुख्यतः रेलवे

लाईन के दक्षिण दिशा में होना प्रस्तावित है। वर्तमान में नगर का विस्तार मुख्य रूप से दक्षिण दिशा में भविष्य में नगर के आन्तरिक भाग में यातायात के दबाव को नियन्त्रित रखने के लिए नगर के चारों तरफ रिंग–रोड प्रस्तावित की गई है। इससे नगर में भारी यातायात दबाव में कमी के साथ सम्भावित दुर्घटनाओं में भी कमी आयेगी। नगर के उत्तरी भाग में रेलवे लाईन होने के कारण इस ओर ज्यादा विस्तार एवं सड़कें प्रस्तावित नहीं की गई हैं। परिचंरण के अन्तर्गत विद्यमान क्षेत्रफल एवं क्षितिज वर्ष तक कुल क्षेत्रफल का विवरण तालिका–25 में दर्शाया गया हैः–

rkfydk&25

ifjlapj.k] dsljhflagiqj&2031

Ø- l-	ifjlapj.k	l[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM+ esa½
1	2	3	4	5
fo|eku				
1.	रेलवे स्टेशन, केसरीसिंहपुर, श्री गंगानगर व मलकाना, करणपुर–धानूर को जाने वाली सड़कें व नगर की आंतरिक सड़कें, बस स्टेण्ड		नगर के मध्य एवं चारों तरफ	70
;ksx				**70**
izLrkfor				
1. 2. 3.	यातायात नगर बस अड्डा रोड, नेटवर्क, राज्य राजमार्ग बाह्य मार्ग, प्रमुख सड़कें, मुख्य सड़कें, आंतरिक व अन्य सड़कें	1 1 अनेक		36
;ksx				**36**
dqy ;ksx ¼fo|eku$izLrkfor½ ¼70$36½ ¾				**106**

स्त्रोत – सर्वेक्षण एवं आकलन

5-7¼1½ izLrkfor ;krk;kr lajpuk

राज्यमार्ग 150 फीट एवं बाईपास/बाहय मार्ग 120 फीट, प्रमुख सड़कें 80 फीट तथा मुख्य सड़कें 60 फीट प्रस्तावित की गयी हैं। मुख्य सड़कें सभी महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ेंगी एवं अधिकतम वाहन इन्हीं सड़कों से होकर गुजरेंगे। अन्य सड़कें विभिन्न आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेंगी तथा कार्यस्थलों को पहुँच प्रदान करेंगी। ये सभी सड़कें मुख्य यातायात प्रणाली का भाग हैं। केसरीसिंहपुर–श्री

गंगानगर राज्य राजमार्ग व नगर के तीन तरफ बाईपास 120 फीट, नगर की प्रमुख सड़कों का मार्ग 80 व अन्य अन्य मुख्य सड़कों की चौड़ाई 60 फीट प्रस्तावित की गई हैं। नगर के पुराने बसे हुए क्षेत्र में स्थित सड़कों की चौड़ाई यथावत् रखने के साथ उन मार्गों की चौड़ाई बढाया जाना प्रस्तावित है। जहाँ मौके पर वर्तमान में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। अन्य सड़कों की चौड़ाई पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप प्रस्तावित किया गया है। सड़कों को मानदण्डों के अनुसार मार्गाधिकार को तालिका–26 में दर्षाया गया है:–

rkfydk &26

iLrkfor lMdk dk ekxkf/kdkj] dlj hflgij&2031

Øekd	lMd dk idkj	ekxkf/kdkj ¼QhV e½
1.	राज्य राजमार्ग	150
2.	बाईपास / बाह्यमार्ग	120
3.	प्रमुख सड़कें	80
4.	मुख्य सड़कें	60

केसरीसिंहपुर में प्रस्तावित मार्गाधिकार तालिका–27 में दर्षाया गया है:–

rkfydk 27

lMdk dk iLrkfor ekxkf/kdkj] dlj hflgij&2031

Øekd	lMd dh J.kh	iLrkfor U;ure lMd ekxkf/kdkj ¼QhV e½
iLrkfor ckå ekx		
1	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	120
2	उत्तरी योजना परिक्षेत्र	120
iez[k lMd		
3	श्रीकरणपुर सड़क का पूर्वी व पश्चिमी परिक्षेत्र के मध्य का भाग	80
4	नगर के पश्चिमी परिक्षेत्र में प्रस्तावित राजकीय प्रयोजनार्थ भाग से लेकर पश्चिमी परिक्षेत्र की सीमा तक	80
e[; lMd		
5	राज्य मार्ग पर स्थित गौशाला जंक्शन से 13–एच को सीधे जाने वाले मार्ग पर रेलवे फाटक तक	60
6	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जलदाय योजना से पश्चिम दिशा में प्रस्तावित बाह्य मार्ग तक	60
7	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में प्रस्तावित राजकीय भूमि के पूर्व से पश्चिम तक प्रस्तावित बाह्य भाग तक	80

स्त्रोतः सर्वेक्षण एवं आकलन

5-7¼1½¼v½ lMdk dk PkkMk djuk ,o mudk l/kkj

निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें जिन्हें मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहाँ तक सम्भव हो, मापदण्डों के अनुसार होगा। उन स्थानों पर जहाँ सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो अथवा जहाँ अत्यधिक संख्या में पक्के मकानों को तोड़ना पड़ रहा हो, वहाँ सुविधानुसार तालमेल बिठाकर निम्न स्तर के मानदण्ड अपनाए जा सकेंगे। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु आगे बने चबूतरों और अनधिकृत निर्माणों को हटाकर मौके के अनुसार सम्भावित चौड़ाई तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है, ताकि यातायात सुगम हो सके।

5-7¼1½¼c½ pkjkgk dk l/kkj

विकसित क्षेत्र में यातायात को स्वतंत्र रूप से चलाने में जो बाधाएं आती हैं, उनमें अपर्याप्त चौड़ाई तथा चौराहों की गलत परिकल्पना के कारण भीड़–भाड़ होना प्रमुख है। अतः चौराहों के सुधार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यातायात तथा आवागमन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए समस्त महत्वपूर्ण चौराहों, तिराहों की तकनीकी जाँच कर उन्हें सावधानी से पुनः डिजाईन करने का प्रस्ताव है।

5-7¼1½¼l½ ikfdx 0;oLFkk

केसरीसिंहपुर में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों के पार्किंग की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। पुराने व्यापारिक केन्द्रों में यह समस्या सबसे अधिक है। अतः प्रस्तावित किया गया है कि इन पुराने व्यापारिक केन्द्रों में जो खुले स्थान उपलब्ध हैं, उनको पार्किंग के रूप में विकसित किया जावे। नये व्यापारिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएं तैयार करते समय इनमें पार्किंग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान किया जावे। भारी वाहनों के लिए यातायात नगर एवं योजना क्षेत्रो में उचित पार्किंग स्थल का प्रावधान रखा जाएगा।

5-7¼2½ cl vMMk rFkk ;krk;kr uxj

वर्तमान में केसरीसिंहपुर में बस अड्डा नगर के मध्य में स्थित है। इस बस अड्डे की योजना विधिवत् नहीं होने एवं वाहनों की संख्या मे वृद्धि हो जाने के कारण यहाँ पर यातायात की समस्या उत्पन्न हो गयी है। भविष्य में नगर की बढ़ती जनसंख्या व यातायात दबाव को मद्देनजर रखते हुए योजना क्षेत्र के

पूर्वी परिक्षेत्र में राज्य राजमार्ग–7 बी पर बस अड्डा प्रस्तावित किया गया है जिससे नगर में यातयात का अनावश्यक दबाव कम हो सके।

वर्तमान में ट्रक मुख्य सड़कों के किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े रहते हैं, जो यातायात में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। नगर से श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों का नगर के अन्दर कम से कम प्रवेष हो, इसलिए योजना क्षेत्र के पूर्वी परिक्षेत्र में राज्य राजमार्ग–7 बी पर एक ट्रक टर्मिनल/ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त 1 टैक्सी एवं थ्री व्हिलर स्टेण्ड योजना क्षेत्र की पूर्वी परिक्षेत्र में स्थित राज्य मार्ग पर, जलदाय योजना के सामने प्रस्तावित किया गया है।

5-7¼3½ jsy ,oa gokbZ lsok

केसरीसिंहपुर में वर्तमान में छोटी रेलवे लाईन से बीकानेर–श्री गंगानगर–हनुमानगढ़ से जुड़ा हुआ है, जो शीघ्र ही ब्रॉडगेज होने जा रही है। केसरीसिंहपुर एक छोटा नगर है। अतः हवाई पट्टी का वर्तमान में यहाँ कोई प्रस्ताव नहीं है।

5-8 ifjf/k fu;a=.k iêh

नगर के अतिक्रमणों एवं अनधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देष्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य स्थित क्षेत्र परिधि नियंत्रण क्षेत्र के रूप में रखा जायेगा। इस क्षेत्र का स्वरूप मुख्य रूप से ग्रामीण ही होगा। इसका उद्देष्य प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में ही सुनियोजित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियोजित रूप से हो, इसके प्रयास किये जाने आवष्यक हैं। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, हाई–वे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवषीतन केन्द्र, पौध शालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेण्ट, कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे क्रेषर, ईंट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, स्टोन पॉलिषिंग उद्योग, बजरी उत्खनन गतिविधियाँ आदि अनुज्ञेय होंगी। परिधि नियंत्रण क्षेत्र में वृहद् परियोजनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर की अनुमति के पश्चात् नगर के चहुंमुंखी विकास एवं उपलब्ध होने वाले रोजगार के मद्देनजर

स्वीकृत / स्थापित की जाती हैं, के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित नगरी विकास की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों की ही प्रधानता होगी।

5-8¼1½ xkeh.k vkcknh {k=

परिधि नियन्त्रण पट्‌टी के अन्दर स्थित गाँवो का विकास एवं विस्तार नियमित तरीके से ही किया जायेगा। इस संबंध मे यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और गंभीर चिन्तन का है, यदि समुचित प्रतिबन्धो का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जनता ग्रामीण अंचलों मे अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित हो, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकृतियाँ उत्पन्न होंगी वरन् यह प्रवृति नगरीय क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में असंगत फैलाव अर्थहीन बनकर रह जायेगा। अतः आबादी विस्तार से दृष्टिगत रखते हुए इन गाँवो का नियोजित ढंग से विस्तार हेतु आवश्यकतानुसार योजनाएं बनायी जावेगी।

6

;kstuk dk fØ;kUo;u

केसरीसिंहपुर नगर की योजना तैयार करने मात्र से ही योजना प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं हो जाती है। यह तो वास्तव में नगर के रहने और कार्य करने के योग्य बनाने के प्रयास का प्रारम्भिक चरण मात्र है। इस योजना को वास्तविकता में परिवर्तित करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि इस योजना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु पूर्ण सामर्थ्य एवं क्षमता के साथ प्रयास किये जाएं। अधिकांष योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं था कि वे अव्यावहारिक थीं बल्कि मुख्य कारण यह रहा कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण विष्वास के साथ इन्हें कार्यान्वित करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये। योजना का क्रियान्वयन इस प्रक्रिया का भाग है, जो योजना को कार्यक्रम में प्रतिस्थापित करता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यों और क्रियाओं को अपने अन्दर समाहित कर लेती है, जिसकी आवष्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित सम्भावित परिणामों को निष्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए होती है।

इस दृष्टि से नियामक और विकास दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवष्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रषासनिक संगठन, तकनीकी मार्गदर्षन और वित्तीय संसाधनों के साथ–साथ नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग पर ही योजना का सफल क्रियान्वयन निर्भर करता है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि आवास और कार्य स्थल के रूप में केसरीसिंहपुर को अधिक आकर्षक बनाने की दिषा में परस्पर सहयोग की भावना से गम्भीर प्रयास करें।

6-1 orZeku vk/kkj

वर्तमान स्थानीय निकाय, केसरीसिंहपुर का गठन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। नया नगर पालिका अधिनियम स्थानीय निकाय को समुचित अधिकार प्रदान करता है, जिससे नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पादित किया जा सके। अतः मास्टर प्लान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु उक्त अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों का समुचित उपयोग किया जाकर नगर में सुनियोजित विकास की परिकल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है।

6-2 iLrkfor vk/kkj

मास्टर प्लान प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का दायित्व नगर पालिका केसरीसिंहपुर का रहेगा। नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रस्तावों को तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु आवष्यक कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भेजी जावेगी। इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाषित करेगी कि केसरीसिंहपुर के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जावेंगे। इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियाँ प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, जिला कलक्टर कार्यालय एवं नगरपालिका, केसरीसिंहपुर में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका, केसरीसिंहपुर से निर्धारित राषि देकर क्रय कर सकेगी।

नगर पालिका केसरीसिंहपुर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावषाली योजनाएं तैयार करेंगी। जलापूर्ति व मल–जल निकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा नगर यातायात प्रबन्ध व सड़क विकास योजना, नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्ष से तैयार करेंगे। नगर पालिका केसरीसिंहपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्ष से परियोजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी। किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों की स्तर पर समन्वय का विषेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त तकनीकी अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान का होना आवष्यक है ताकि यह विकास का समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर सके।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्थानीय निकाय को सभी प्रकार से सुदृढ़ किया जाये और समय–समय पर आवश्यकतानुसार समुचित अधिकार दिये जायें। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास कार्यों पर इसका नियंत्रण

हो, इस दृष्टि से समय–समय पर आवष्यक कानूनी तथा प्रषासनिक दिशा निर्देश जारी करते रहना होगा।

6-3 tu lgHkkfxrk ,o tu lg;kx

नगर का विकास अंततः लोगों की आषाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देष्यों की प्राप्ति के लिए वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवष्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर की सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवष्यक है कि नगर की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

6-4 Hk&mi;kx vdu ,o Hkfe vokfIr

केसरीसिंहपुर के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं की दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व मे जारी की गई स्वीकृति/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गई भू–उपयोग योजना 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई किसी स्वीकृति यथा 90–बी के आदेष, आवंटन, भूमि रूपान्तरण व नियमन, भू–उपयोग परिवर्तन, अनुमोदित योजना, भवन निर्माण स्वीकृति आदी का समायोजन नहीं हो पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जावेगा।

मास्टर प्लान क्षेत्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाषय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन करने का यथासंभव प्रयास किया गया है, यथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार की मान्य होगी। इन नदी, नाले, जलाषय, भराव क्षेत्र इत्यादि में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या नहीं। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से सुनिष्चित की जाएगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा षिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत् भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रषस्त हो सके।

6-5 mi lgkj %&

मास्टर प्लान भावी विकास की परिकल्पना मात्र है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित है। केसरीसिंहपुर का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नयी सुविधाएं उपलब्ध कराने, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करने और केसरीसिंहपुर को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर की इस योजना को तैयार किया गया है।

jktLFkku uxj l|/kkj vf/kfu;e&1959 d m)j.k

v/;k; & 2

ekLVj lyku

3- jkT; ljdkj dk ekLVj lyku r\;kj dju d vkn'k dju dh 'kfDr

(1) राज्य सरकार आदेष द्वारा यह निर्देष दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेष में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4- ekLVj lyku dh vUroLr|

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिष्चित किये जाएंगे जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्षित की जाएगी जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) उस ढाँचे के विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जायें, जो आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5- vu|lj.k dh tku okyh izfØ;k

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गए नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के संबंध में आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाषित करेगा।

6- ekLVj lyku dk ljdkj dk iLrqr fd;k tkuk

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् याथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी व इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने का निर्देष दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवष्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देष देते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7- ekLVj lyku d iorlu dh rkjh[k

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाषित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाषन की तिथि से प्रवर्तन में आ जायेगा।

jktLFkku uxj lq/kkj U;kl ¼lkekU;½ fu;e & 1962 d m)j.k

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F.4(32)LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette Part IV-C extraordinary dated 08.06.1962 Page 118 J]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely: -

RULES

1. Short title and commencemement:

(1) These rules may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules – 1962".

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions – In these rules, unless the subject or context otherwise requires –

(i) **"Act"** mean the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).

(ii) **"Trust"** means a trust as constituted under the Act.

(iii) **"Section"** means a Section of the Act

(iv) Word and expressions used but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of draft Maser Plan and the contents thereof under Section 5(i).

(i) The draft master plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 shall be published by him by making a

copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draf Master Plan within a period of 30 days from the date of publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections / suggestions with respect to the draft of the Master Plan.

(ii) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating in the area inco"kZ ded in the Master Plan.

(iii) The Draft Master Plan shall ordinarily consists of the following maps, Plan and documents namely: -

(a) Town Map showing General Layout of the roads and Streets in the Town.

(b) Base Map showing the Generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, industrial.

(c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern. In the urban area such as residential, commercial, industrial public and semi-public uses etc.

(d) Written analysis and written statement to support the proposals.

(e) Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fit or as the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 (1)

(1) After considering the objections / suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under section 3^3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 (2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same if constituted to the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.

jkt LFkku ljdkj

uxjh; fodkl foHkkx]

क्रमांक प 10 (119) न विवि/3/10 जयपुर दिनांक 16.7.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर को केसरीसिंहपुर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:–

jkt Lo xke dk uke		
Ø-l-	ENGLISH	fgUnh
1	1U	1 यू
2	3U	3 यू
3	2U	2 यू
4	4U	4 यू
5	5U	5 यू
6	3T	3 टी
7	19H	19 एच
8	19-F	19 एफ
9	20-F	20 एफ

राज्यपाल की आज्ञा से

(पुरूषोत्तम बियाणी)

'kklu mi lfpo

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राज पत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, श्री गंगानगर
4. मुख्य नगर नियोजक राज. जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर ।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका केसरीसिंहपुर जिला श्री गंगानगर
7. रक्षित पत्रावली

mi uxj fu;kt d
uxjh; fodkl foHkkx

परिषिष्ट –3 (ii)

jktLFkku ljdkj
uxjh; fodkl foHkkx

क्रमांकः–प.10(142)नविवि/3/2010 जयपुर , दिनांकः–15.02.2012

vf/klpuk

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकारस ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.7.2010 द्वारा यथा अधिसूचित ''केसरीसिंहपुर (जिला–श्रीगंगानगर) के नगरीय क्षेत्र'' के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, केसरीसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0
¼idk'k pUn 'kek½
'kklu mi lfpo&iFke

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी डी भेजकर लेख है कि अधिसूचनना का प्रकाषन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2 प्रमुख षासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पष्चिम), राजस्थान, जयपुर।
5 वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर ।
6 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
7 अधिषाषी अधिकारी, नगर पालिका, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।
8 रक्षित पत्रावली ।

ह0
¼inhi dij½
mi uxj fu;ktd